
v/; k; 1
jkT; l j dkj ds foÿk

jkt; dh : ijsfkk

मध्य प्रदेश भारत के मध्य भाग में स्थित है। यह भौगोलिक दृष्टि (308 हजार वर्ग किलोमीटर) से दूसरा एवं जनसंख्या (2011 जनगणना के अनुसार 7.26 करोड़) की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा राज्य है। संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य की संस्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 की संख्या 28) के अंतर्गत पूर्व के मध्य प्रदेश राज्य के 16 जिलों से मिलाकर 1 नवंबर 2000 को नये राज्य छत्तीसगढ़ का गठन किया गया।

जैसा कि ifj'k"V 1-1 में निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य की जनसंख्या में 2001 में 6.03 करोड़ से 2011 में 7.26 करोड़ की वृद्धि 20.40 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर्ज की गई। राज्य की जनसंख्या के घनत्व में 2001 में 196 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से 2011 में 236 व्यक्ति प्रति किलोमीटर की वृद्धि हुई। हालांकि मध्य प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व अखिल भारतीय औसत 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की तुलना में निम्नतर है। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत (44.30 प्रतिशत) अखिल भारतीय औसत (29.50 प्रतिशत) से उच्चतर था। राज्य की साक्षरता दर में 2001 में 69.69 प्रतिशत से 2011 की जनगणना अनुसार 69.32 प्रतिशत की आंशिक कमी आई जो कि अखिल भारतीय औसत 73.00 प्रतिशत (2011 जनगणना) से निम्नतर थी।

राज्य से संबंधित सामान्य आंकड़े (विकास संकेतकों सहित) ifj'k"V 1-1 में दिए गए हैं।

l dy jkt; ?kjsy mRi kn

सकल राज्य घरेलू उत्पाद दी गई अवधि में राज्य में उत्पादित आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में संवृद्धि, राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेत है क्योंकि यह राज्य की जनता के जीवन स्तर को दर्शाता है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक संवृद्धि की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया है:

orëku eW; ij Hkkjr ds l dy ?kjsy mRi kn , oa e/; i n'sk dk l dy jkt; ?kjsy mRi kn dh ok'kd l of) nj

(₹ djkm+e)

o"z	2010&11	2011&12	2012&13	2013&14	2014&15
वर्तमान मूल्य पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद	72,48,860	83,91,691	93,88,876	1,04,72,807	1,15,09,810*
सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	18.66	15.77	11.88	11.54	-
वर्तमान मूल्य पर मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2,63,396	3,05,158	3,61,270	4,34,730	5,08,006
सकल राज्य घरेलू उत्पाद [®] की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	15.75	15.86	18.39	20.33	16.86

*L=kr% l kf; dh , oa ; ktuk f0; kko; u ea-ky; }kjk fnukd 30 tykbz 2015 dls , oa vkk'kd , oa l kf; dh l pkyuky;] e/; i n'sk ljdkj }kjk tkjh fd; s x; s foaj .k i=d%

* rhu jkt; ka xkokj vMeku , oa fudkckj }hi l eeg , oa pMhx<+ NkM'ej

® o"z 2011&12 l s 2013&14 ds fy, orëku eW; ij l dy jkt; ?kjsy mRi kn jkt; ljdkj }kjk i qjhf{kr gs bl fy, i n'z ifronuka ea n'kkz x, 2011&12 l s 2013&14 ds fy, l dy jkt; ?kjsy mRi kn ds l UnHkz ea i fr'kr vuq'kr@fofHkUk eki n. Mka dh mRlykodrk i qjhf{kr dj nh xbz gA

2014-15 के दौरान वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 5,08,006 करोड़ था, जिसमें विगत वर्ष की तुलना में 16.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2005-06 से 2014-15 के दौरान मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (15.05 प्रतिशत) सामान्य श्रेणी के राज्यों (13.86 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी।

1-1 i Lrkouk

यह अध्याय मध्य प्रदेश सरकार के 2014-15 के दौरान वित्त का लेखापरीक्षित परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य राजकोषीय समूहों का विगत वर्ष की तुलना में विवेचनात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह विश्लेषण मध्य प्रदेश सरकार के वित्त लेखे तथा उनमें उपलब्ध करायी गई जानकारी पर आधारित है। सरकारी लेखाओं की संरचना और प्रारूप तथा वित्त लेखे का विन्यास ijfj'k"V 1-2 Hkkx&d में चित्रित किया गया है।

संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के दिनांक से पूर्व अन्य वित्तीय समायोजनों के साथ-साथ, राज्य की परिसंपत्तियों एवं देयताओं के अभिभाजन को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 की संख्या 28) के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। इस दिशा में प्राप्त की गयी वास्तविक प्रगति ijfj'k"V 1-2 Hkkx&[k में दर्शाई गई है।

राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए अपनाई गई पद्धति और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों/ उच्चतम सीमाओं, चयनित राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्तियों एवं राज्य वित्त के समयबद्ध आंकड़े को ijfj'k"V 1-3 एवं ijfj'k"V 1-4 में चित्रित किया गया है।

1-1-1 2014&15 ea jkt dks'kh; yu&nuka dk l kjka k

rkfydk 1-1 विगत वर्ष (2013-14) की तुलना में वर्तमान वर्ष (2014-15) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश प्रस्तुत करती है, जबकि ijfj'k"V 1-5 Hkkx&d वर्तमान वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण उपलब्ध कराता है।

rkfydk 1-1% 2014&15 ea jkt dks'kh; i pkyuka dk l kjka k

₹ djkM+e#

i kflr; ka	2013&14	2014&15	l forj .k	2013&14	2014&15		
vuqkx&d% jktLo					vk; kst u'vkj	vk; kst uk	; ksx
jktLo i kflr; ka	75,749.24	88,640.78	jktLo 0; ;	69,869.76	55,858.26	26,514.56	82,372.82
कर राजस्व	33,552.16	36,567.12	सामान्य सेवाएं	20,590.93	22,218.41	146.70	22,365.11
करेत्तर राजस्व	7,704.99	10,375.23	सामाजिक सेवाएं	27,768.21	17,319.12	14,748.03	32,067.15
संघ करों/ शुल्कों का अंश	22,715.27	24,106.99	आर्थिक सेवाएं	16,971.33	12,608.07	11,107.05	23,715.12
भारत सरकार से अनुदान	11,776.82	17,591.44	सहायतानुदान तथा अशदान	4,539.29	3,712.66	512.78	4,225.44
vuqkx&[k% i ut'hr , oa vU;							
fofo/k i ut'hr i kflr; ka	35.98	27.73	i ut'hr ifj0; ;	10,812.52	56.63	11,821.05	11,877.68
			सामान्य सेवाएं	196.31	15.22	241.95	257.17
			सामाजिक सेवाएं	1,899.30	0.69	2,069.63	2,070.32
			आर्थिक सेवाएं	8,716.91	40.72	9,509.47	9,550.19
dtl rFkk vfxe dh ol f'y; ka	93.22	6,765.05	l forfjr dtl rFkk vfxe	5,077.52	10,639.39	1,895.22	12,534.61
vU'rjkt; h; ij'k'ku	2.44	0.91	vU'rjkt; h; ij'k'ku	2.36	-	-	0.98
ykd __.k i kflr; ka	9,540.82	15,068.71*	ykd __.k dk i ut'hrku	4,004.65	-	-	4,920.52*
vkdfLedrk 0; ; fuf/k	-	300.00	vkdfLedrk 0; ; fuf/k	-	-	-	301.08
ykd yq'kk i kflr; ka	94,811.32	1,10,294.74	ykd yq'kk l forj .k	93,063.99	-	-	1,08,165.30
i kj fEHkd jkdM+ 'k'sk	7,074.81	4,477.03	vflre jkdM+ 'k'sk	4,477.03	-	-	5,401.96
; ksx	1,87,307.83	2,25,574.95	; ksx	1,87,307.83			2,25,574.95

* o'iz ds n'jku dktl vFkk'k; vfxe vlgfjr ugha fd, x, FkA
 %L=ks-% l ut'hr o'k'ka ds foYk yq'k'k

विगत वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नानुसार है:

- राजस्व प्राप्तियों में ₹ 12,891.54 करोड़ (17 प्रतिशत) की वृद्धि स्वयं के कर राजस्व (₹ 3,014.96 करोड़ से), करेत्तर राजस्व (₹ 2,670.24 करोड़ से), संघ करों/शुल्कों के अंश (₹ 1,391.72 करोड़ से) एवं सहायता अनुदान तथा भारत सरकार से अंशदान (₹ 5,814.62 करोड़ से) में वृद्धि के कारण हुई। 2014-15 के लिए राजस्व प्राप्तियां मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 1,03,493.16 करोड़) से ₹ 14,852.38 करोड़ से कम रहीं।
- राजस्व व्यय में ₹ 12,503.06 करोड़ (18 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वृद्धि आर्थिक सेवा क्षेत्र (₹ 6,743.79 करोड़ से), सामाजिक सेवा क्षेत्र (₹ 4,298.94 करोड़ से) एवं सामान्य सेवा क्षेत्र (₹ 1,774.18 करोड़ से) के अंतर्गत थी। यद्यपि सहायता अनुदान एवं अंशदान में ₹ 313.85 करोड़ की कमी आई।
- पूंजीगत व्यय में ₹ 1,065.16 करोड़ (10 प्रतिशत) की वृद्धि हुई; वृद्धि मुख्यतः आर्थिक सेवा क्षेत्र (₹ 833.28 करोड़ से) में वृद्धि के कारण थी।
- वसूलियों तथा कर्ज एवं अग्रिमों का संवितरण में क्रमशः ₹ 6,671.83 करोड़ तथा ₹ 7,457.09 करोड़ की वृद्धि हुई।
- लोक ऋण प्राप्तियों एवं पुनर्भुगतान में क्रमशः ₹ 5,527.89 करोड़ (58 प्रतिशत) तथा ₹ 915.87 करोड़ (23 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। कोई अर्थोपाय अग्रिम आहरित नहीं किया गया।
- लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरणों में क्रमशः ₹ 15,483.42 करोड़ (16 प्रतिशत) तथा ₹ 15,101.31 करोड़ (16 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- राज्य सरकार के नकद शेषों में ₹ 924.93 करोड़ की वृद्धि हुई।

1-1-2 *jkt dks'kh; fLFkfr dh l eh{kk*

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के प्रत्युत्तर में, राज्य सरकार ने अपना राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया जो कि 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ, जिसका उद्देश्य राजस्व घाटे के प्रगामी निरसन के द्वारा राजकोषीय प्रबंधन एवं राजकोषीय स्थायित्व में विवेक की दृष्टि से, राजकोषीय घाटे सहित धारणीय ऋण प्रबंधन एकरूपता, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में वृहत्तर पारदर्शिता तथा मध्यम अवधि राजकोषीय ढाँचे में राजकोषीय नीति के संचालन को सुनिश्चित करना था।

तेरहवें वित्त आयोग, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम एवं मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारित राजकोषीय पूर्वानुमान तथा 2014-15 हेतु वास्तविक उपलब्धियों को rkfydk 1-2 में प्रस्तुत किया गया है।

rkfydk 1-2% 2014&15 grq jkt dks'kh; mYkjnkf; Ro , oactV iczku vf/kfu; e] e/; e
dkfyd jkt dks'kh; uhfr foj.k , oarjgoa foYk vk; kx ds v/khu jkt dks'kh; iokLpku

₹ djkM+ e#

jkt dks'kh; iokLpku	jkt; ds fy, rjgoa foYk vk; kx ds y;	jkt dks'kh; mYkjnkf; Ro rFkk ctV iczku vf/kfu; e@e/; e dkfyd jkt dks'kh; uhfr foj.k esa fu/kkZjr y;	ctV 2014&15 esa iLrkfor y;	okLrfod mi yf/k
राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+)	0.0 प्रतिशत	राजस्व घाटे को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में घटाया जाए ताकि इसे 31.03.2009 तक समाप्त किया जा सके एवं उसके पश्चात राजस्व आधिक्य उत्पन्न किया जा सके	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.00 प्रतिशत (बजट अनुमान के अनुसार (+)4,478 करोड़)	(+)6,268 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.23 प्रतिशत)
राजकोषीय घाटा/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3.0 प्रतिशत	31 मार्च 2009 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक न हो, तक कम करना	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.98 प्रतिशत (बजट अनुमान के अनुसार (-)13,425 करोड़)	(-)11,352 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.23 प्रतिशत)
कुल बकाया ऋणों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात	35.30 प्रतिशत	उस वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत से अधिक न हो	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 25.34 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 21.40 प्रतिशत


₹=kr% rjgoa foYk vk; kx dh vuqka k 2010&15] e/; insk jkt dks'kh; mYkjnkf; Ro , oactV iczku vf/kfu; e 2005] 2014&15 ds nkjku jkt dks'kh; mYkjnkf; Ro , oactV iczku vf/kfu; e 2005 ds v/khu fo/khu l Hkk ds l e/ctV ds l kfk iLrk i=d rFkk foYk yq's 2014&15%

- राज्य ने 2004–2005 में राजस्व आधिक्य उपार्जित कर लिया था और उसके पश्चात आधिक्य को बनाए रखा, विगत वर्ष की तुलना में 2014–15 के दौरान ₹ 389 करोड़ की वृद्धि हुई।
- 2014–15 के दौरान राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.23 प्रतिशत, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लक्ष्यों, तेरहवें वित्त आयोग एवं मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण के प्रक्षेपणों में निर्धारित सीमा (3 प्रतिशत) के भीतर था। यह अनुपात 2013–14 (2.27 प्रतिशत) की तुलना में कम था। 2014–15 के दौरान, 2013–14 की तुलना में इसमें ₹ 1,470 करोड़ की वृद्धि हुई।
- कुल बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 21.40 प्रतिशत राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्य एवं तेरहवें वित्त आयोग द्वारा क्रमशः निर्धारित 40 प्रतिशत एवं 35.30 प्रतिशत की सीमा के भीतर था। यह मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण के प्रक्षेपणों (25.34 प्रतिशत) से भी कम था।

1-1-3 ctV vuqku vkj okLrfod vkadMs

बजट अनुमानों में राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय की परिशुद्धता का महत्व राजकोषीय नीतियों को प्रभावशाली रूप से लागू करने के संदर्भ में समग्र आर्थिक प्रबंधन के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। बजट अनुमानों से विचलन वांछित राजकोषीय उद्देश्यों का प्राप्त न होना एवं प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग न होना दर्शाता है।

पृष्ठ 1-1 2014-15 के लिए कतिपय महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदण्डों के लिए बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों को प्रस्तुत करता है।



पृष्ठ 1-1 पर जतिपय महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदण्डों के लिए बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों को प्रस्तुत करता है।

- राज्य की राजस्व प्राप्तियां (₹ 88,641 करोड़) बजट अनुमानों से ₹ 14,852 करोड़ (14.35 प्रतिशत) निम्नतर थी।
- करेत्तर राजस्व, बजट अनुमान से ₹ 3,616 करोड़ (53.49 प्रतिशत) अधिक था।
- राज्य का कर राजस्व (₹ 36,567 करोड़) बजट अनुमान से ₹ 2,423 करोड़ (6.21 प्रतिशत) कम था। इसके अतिरिक्त राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय बजट अनुमान से क्रमशः ₹ 16,642 करोड़ (16.81 प्रतिशत) तथा ₹ 2,264 करोड़ (16.01 प्रतिशत) कम थे।
- ब्याज भुगतान बजट अनुमानों से ₹ 142 करोड़ (2.05 प्रतिशत) अधिक था जो कि मुख्यतः बाजार ऋण पर ब्याज एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजना के लिए कर्जों पर ब्याज में वृद्धि के कारण था।
- प्रमुख राजकोषीय संकेतकों यथा राजस्व आधिक्य, राजकोषीय घाटे एवं प्राथमिक घाटे में बजट अनुमानों के संदर्भ की तुलना में सुधार दर्शित हुआ।

1-1-4 जेण्डर ctVx

राज्य का जेण्डर बजट महिलाओं को पूर्ण या आंशिक हितलाभ दिलाने वाली योजनाओं पर समग्र बजट में से किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय को प्रकट करता है। जेण्डर बजटिंग की शुरुआत 2007-08 में की गई थी एवं जेण्डर बजट का पृथक खण्ड महिलाओं व लड़कियों से संबंधित बजट प्रावधानों का विवरण उपलब्ध करवाने के लिए, बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था। जेण्डर बजट से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था (1) योजनाएं जिसमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे और (2) योजनाएं जिसमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे।

2014-15 के दौरान, 25 विभागों¹ (श्रेणी 1: 50 योजनाओं एवं श्रेणी 2: 393 योजनाओं) में महिलाओं के हितलाभ हेतु बजट प्रावधान किए गए थे।

वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत (अगस्त 2015) की गई जानकारी के अनुसार, 2010-11 से 2014-15 तक के वर्षों के लिए श्रेणी 1 एवं 2 के संबंध में वर्षवार आबंटन एवं व्यय rkfydk 1-3 में दिया गया है।

rkfydk 1-3: 2010&15 ds nkjku tsMj ctVh; vko/ku

o"kl	Js kh 1			Js kh 2		
	ifj0; ;	0; ;	ifj0; ; dh rgyuk ea 0; ; dk ifr'kr	ifj0; ;	0; ;	ifj0; ; dh rgyuk ea 0; ; dk ifr'kr
2010-11	858.27	780.56	90.95	12,809.86	1,467.60	11.46
2011-12	1,510.02	1,245.41	82.48	20,500.64	6,908.51	33.70
2012-13	1,745.00	1,473.08	84.42	23,038.77	19,195.10	83.32
2013-14	1,768.19	1,688.93	95.52	24,464.97	24,229.29	99.04
2014-15	1,813.41	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	36,340.81	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
; ksx	7,694.89	5,187.98	67.42	1,17,155.05	51,800.50	44.22

%=kr%foYk foHkxj e/; ins'k 'kklu }jkk ink; lpukk

जेण्डर बजटिंग शुरू होने के पश्चात महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रभाव के विश्लेषण के बारे में पूछे जाने पर, वित्त विभाग ने कोई उत्तर नहीं दिया (जुलाई 2015)। यद्यपि आयुक्त, महिला सशक्तिकरण (महिला एवं बाल विकास) एवं एकीकृत बाल विकास सेवाएं, भोपाल द्वारा प्रस्तुत जानकारी (जुलाई 2015) के विश्लेषण से उपरोक्त दो विभागों में महत्वपूर्ण बचतें देखी गईं जैसा कि नीचे rkfydk 1-4 में दर्शाया गया है।

rkfydk 1-4: 2014&15 ds nkjku Js khokj i ko/kku , oa 0; ;

foHkxj dk uke	Js kh&1 %100 ifr'kr½				Js kh&2 %30 ifr'kr½			
	; kst ukvka dh l d; k	dgy i ko/kku	dgy 0; ;	cpr %i fr'kr½	; kst ukvka dh l d; k	dgy i ko/kku	dgy 0; ;	cpr %i fr'kr½
महिला सशक्तिकरण विभाग	11	818.00	34.55	783.45 (95.77%)	10	75.37	36.93	38.44 (51%)
एकीकृत बाल विकास सेवाएं	4	474.85	434.60	40.25 (8.48%)	14	2573.97	1817.12	756.85 (29.40%)

➤ बचतों का विशिष्ट कारण वित्तीय प्रतिबंध एवं राज्य के कई जिलों में चुनाव आयोग द्वारा जारी आचार संहिता, निधियों के संचालन के लिए नियमों का नहीं बनाया जाना, वेतन एवं भत्तों के कुछ शीर्षों में निधियों का उपयोग न होना, कार्यालय व्यय एवं प्रशिक्षण में कम व्यय बताया गया।

¹ 1. गृह विभाग 2. खेलकूद एवं युवा कल्याण 3. वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार 4. किसान कल्याण एवं कृषि विकास 5. सहकारिता विभाग 6. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 7. नगरीय प्रशासन एवं विकास 8. स्कूल शिक्षा 9. पंचायत 10. जनजातीय कल्याण 11. सामाजिक न्याय 12. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति 13. जल संसाधन विभाग 14. पशुपालन 15. उच्च शिक्षा 16. जन शक्ति नियोजन 17. विमानन 18. महिला एवं बाल विकास 19. ग्रामीण उद्योग 20. पिछड़ा वर्ग कल्याण 21. अनुसूचित जाति कल्याण 22. ग्रामीण विकास 23. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण 24. आयुष विभाग 25. विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड जाति कल्याण

- श्रेणी-1 के अंतर्गत आठ योजनाओं एवं श्रेणी-2 के अंतर्गत 12 योजनाओं जहां बचतें एक करोड़ से अधिक थीं, को ifj'k"V 1-6 में दर्शाया गया है।

यह स्पष्ट है कि उद्दिष्ट प्रावधान 7.48 से 99.11 प्रतिशत के मध्य अप्रयुक्त रहे, इससे यह दर्शित हुआ कि महिला उन्मुखी योजनाएं उचित ढंग से क्रियान्वित नहीं की गयी थी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2015) के दौरान वित्त विभाग द्वारा बताया गया कि जेण्डर बजट के लिये एक नया प्रारूप विचाराधीन है।


1-2 jkT; ds l d k/ku

1-2-1 okk'd foYk ysks ds vuq kj jkT; ds l d k/ku


राजस्व तथा पूंजी, प्राप्तियों की दो धाराएं हैं जिनमें राज्य सरकार के संसाधन समाविष्ट है। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेतर राजस्व, संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश और भारत सरकार से सहायतानुदान सम्मिलित है। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियों यथा विनिवेश से प्राप्त विक्रय धन, ऋण तथा अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार कर्ज, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधारियां) तथा भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम सहित लोक लेखे से निवल संग्रहण सम्मिलित है।

pkVl 1-2 में 2014-15 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के संघटकों को श्रेणीबद्ध किया गया है।


pkVL 1-2% jkT; ds l d k/kuka ds l qkVd , oa mi l qkVd dk QykpVZ



rkfydk 1-1 वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के वार्षिक वित्त लेखे में यथा अभिलिखित प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है जबकि pkVL 1-3 वर्ष 2010-15 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों की प्रवृत्ति का चित्रण करता है एवं pkVL 1-4 2014-15 के दौरान प्राप्तियों की संरचना का चित्रण करता है।



VL=kr: l mthxr o"kk ds foik yq[ks



स्रोत: राजस्व विभाग के द्वारा तैयार किया गया

- वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्व, पूंजीगत एवं लोक लेखे प्राप्तियों (निवल) में कुल प्राप्तियों का क्रमशः 79 प्रतिशत, 19 प्रतिशत एवं दो प्रतिशत समाविष्ट था।
- 2010-15 की अवधि के दौरान, राज्य की कुल प्राप्तियों (निवल लोक लेखे प्राप्तियां सहित) में 79 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2010-15 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियों में क्रमशः 71 प्रतिशत एवं 178 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि निवल लोक लेखे प्राप्तियों में 36 प्रतिशत की कमी आई।
- विगत वर्ष की तुलना में 2014-15 में कुल प्राप्तियों की संवृद्धि दर 29 प्रतिशत थी।
- वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों की हिस्सेदारी 77 प्रतिशत और 87 प्रतिशत के बीच रही। वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियों की हिस्सेदारी 11 प्रतिशत और 19 प्रतिशत के बीच रही।
- 2014-15 के दौरान राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ 12,892 करोड़ (17 प्रतिशत) एवं ₹ 12,191 करोड़ (126 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। लोक लेखा के अंतर्गत निवल प्राप्तियों में ₹ 383 करोड़ (22 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- लोक ऋण प्राप्तियों में वृद्धि का कारण बाजार कर्ज एवं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को जारी विशेष प्रतिभूतियों से कर्ज के अंतर्गत अधिक उधारियां थी।


1-2-2 jkT; dk; kll; u vfhkdj. kka dks jkT; ctV l s ckgj l h/ks fuf/k; ka dk varj. k

भारत सरकार ऐसे आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र जो कि महत्वपूर्ण होते हैं, में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में कार्यान्वयन के लिये निधियों को बड़ी प्रमात्रा सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों² को अंतरित करती है। वर्तमान तंत्र में, ये निधियां राज्य बजट/राज्य कोषालय प्रणाली से नहीं गुजरती हैं एवं इसलिए राज्य वित्त लेखे में उल्लेख नहीं होता है। इस तरह राज्य के वार्षिक वित्त लेखे राज्य सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत संसाधनों की सम्पूर्ण तस्वीर उपलब्ध नहीं कराते। तथापि भारत सरकार ने 2014-15 से चरणबद्ध तरीके से केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिये राज्य की समेकित निधि के माध्यम से राज्य सरकार को सीधे निधियां अंतरित करने का निर्णय लिया (जुलाई 2013)।

वर्ष 2014-15 के दौरान भारत सरकार ने राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे/प्रत्यक्ष रूप से केवल ₹ 854.85 करोड़ अंतरित किये जो कि विगत वर्ष से ₹ 8,425.20 करोड़ (90.79 प्रतिशत) कम थे। मुख्य प्राप्तकर्ता मध्य प्रदेश स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (₹ 165 करोड़ अर्थात् 19.30 प्रतिशत), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर (₹ 113.45 करोड़ अर्थात् 13.27 प्रतिशत), भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल (₹ 96.50 करोड़ अर्थात् 11.28 प्रतिशत), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल (₹ 82 करोड़ अर्थात् 9.59 प्रतिशत), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर (₹ 66.48 करोड़ अर्थात् 7.78 प्रतिशत) एवं मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल (₹ 56 करोड़ अर्थात् 6.55 प्रतिशत) थे।


1-3 jktLo ikflr; ka

वित्त लेखे के विवरण पत्रक-14 में सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ब्यौरे दिए गए हैं। राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर एवं करेतर राजस्व, केन्द्रीय कर अंतरणों एवं भारत सरकार से सहायता-अनुदान समाविष्ट हैं। 2010-15 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना ifjf'k"V 1-4 में प्रस्तुत की गई है और क्रमशः pkVl 1-5 एवं 1-6 में भी चित्रित की गई हैं।



५-१२-१५ / २५/१२ / ०१/१३ / ०१/१३ / ०१/१३ / ०१/१३

² राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों में गैर सरकारी संगठनों सहित कोई संगठन/संस्थान, जो कि राज्य में विशेष कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये भारत सरकार से निधियां प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार से प्राधिकृत है, सम्मिलित है।



₹ करोड़ में राजस्व प्राप्तियों का संयुक्त अंशदान

I keLU; i d'f'k; ka

- राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 2010-11 में ₹ 51,854 करोड़ से 2014-15 में ₹ 88,641 करोड़ तक 71 प्रतिशत की वृद्धि 14.20 प्रतिशत की औसत वार्षिक संवृद्धि की दर से हुई। 2014-15 के दौरान संवृद्धि दर 2013-14 में 7.56 के विरुद्ध 17.02 प्रतिशत थी। हालांकि 2014-15 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 53 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों से आया जिसमें कर राजस्व 41 प्रतिशत) एवं करेत्तर राजस्व 12 प्रतिशत) समाविष्ट था, शेष 47 प्रतिशत केन्द्रीय कर अंतरणों एवं सहायता अनुदानों का संयुक्त अंशदान था।
- वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का सापेक्ष अंशदान 41 प्रतिशत एवं 44 प्रतिशत के मध्य रहा, जबकि 2010-11 से 2014-15 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के अन्य संघटकों अर्थात् करेत्तर राजस्व, केन्द्रीय कर अंतरण एवं सहायता अनुदान का संयुक्त अंश 56 प्रतिशत एवं 59 प्रतिशत के मध्य रहा।
- जैसा कि चित्र 1-1 में दर्शाया गया है कि 2005-06 से 2013-14 एवं 2013-14 से 2014-15 के दौरान, मध्य प्रदेश में राजस्व प्राप्तियों की संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर सामान्य श्रेणी के राज्यों से उच्चतर थी।

राज्य के स्वयं के कर के संदर्भ में राजस्व उत्पादकता का संयुक्त अंशदान

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राज्य के स्वयं के कर के संदर्भ में राजस्व उत्पादकता	1.05	0.80	0.93	0.78	1.89
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्पादकता	1.52	1.63	0.73	0.48	0.53
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	25.27	20.73	12.50	7.56	17.02
राज्य के स्वयं के कर की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	24.00	25.93	13.38	9.71	8.99
राजस्व प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	19.69	20.52	19.49	17.42	17.45
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्पादकता	1.60	1.31	0.68	0.37	1.01
राज्य के स्वयं के कर के संदर्भ में राजस्व उत्पादकता	1.05	0.80	0.93	0.78	1.89

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्पादकता का संयुक्त अंशदान

³ उत्पादकता अनुपात आधारित अस्थिरता में दिये गये परिवर्तनों के सम्बन्ध में राजकोषीय अस्थिरता की प्रतिक्रियाशीलता का लचीलापन अथवा अवस्था दर्शाता है। उदाहरण के लिये 0.6 पर राजस्व उत्पादकता का अर्थ होता है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत तक वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियों में 0.6 प्रतिशत पॉइन्ट तक वृद्धि की प्रवृत्ति होती है।

आदर्शतः, राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर से अधिक होनी चाहिये ताकि समय के साथ बजट बेहतर संतुलित किया जा सके। rkfydk 1-5 के विश्लेषण पर निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में 2010-11 में 19.69 प्रतिशत से 2014-15 में 17.45 प्रतिशत की कमी अन्तरवर्षीय परिवर्तनों के साथ आई।
- 2010-11 में राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर में 25.27 प्रतिशत से 2013-14 में 7.56 प्रतिशत की लगातार कमी आई एवं उसके पश्चात 2014-15 में 17.02 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों एवं स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि के कारण थी।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता के साथ राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता में विगत वर्ष (क्रमशः 0.37 एवं 0.48) की तुलना में 2014-15 (क्रमशः 1.01 एवं 0.53) में वृद्धि का कारण वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि की दर में वृद्धि होना तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर में कमी था।

1-3-1 jkT; ds Lo; a ds l d k/ku

चूंकि केन्द्रीय करों एवं भारत सरकार से सहायता अनुदानों में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर निश्चित किया जाता है इसलिए संसाधनों को जुटाने में राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन उसके स्वयं के स्रोतों जिसमें स्वयं के कर एवं करेत्तर स्रोत समाहित हैं से किया जाता है।

तेरहवें वित्त आयोग, पुनरीक्षित अनुमानों एवं मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण द्वारा किए गए निर्धारणों की तुलना में वर्ष 2014-15 के लिए राज्य के वास्तविक कर एवं करेत्तर प्राप्तियां एवं संवृद्धि दर क्रमशः rkfydk 1-6 एवं rkfydk 1-7 में दी गई हैं।

rkfydk 1-6: dj jktLo , oa dj jkT jktLo

₹ dj kM+ e%

	rj goa foYk vk; ks ds i dki .k	i qjhf(kr ctV vuqku 2014&15	e/; e dkfyd jkt dks'kh; uhfr foj .k i dki .k	okLrfod vk dM s
कर राजस्व	27,329	66,479	66,671	36,567
करेत्तर राजस्व	5,816	9,598	6,759	10,375

₹ = kr% foYk yq'ks , oa jkT; ctV 2014&15 rFk 2015&16 ds l kFk jkt dks'kh; mYk jnkf; Ro rFk ctV i dki vk/ku; e ds v/khu fo/kku l Hk ds l e{k i Lr foj .k , oa rj goa foYk vk; ks dh vuq d k , %

rkfydk 1-7: 2010&15 ds nkjku dj @dj jkT jktLo dh l df) nj

₹ dj kM+ e%

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
कर राजस्व	21,419	26,973	30,582	33,552	36,567
संवृद्धि दर (प्रतिशत)	24.00	25.93	13.38	9.71	8.99
करेत्तर राजस्व	5,720	7,483	7,000	7,705	10,375
संवृद्धि दर (प्रतिशत)	-10.37	30.82	-6.45	10.07	34.65

₹ = kr% l dki /kr o'kka ds foYk yq'ks

यह स्पष्ट है कि वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व विगत वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ 3,015 करोड़+ एवं ₹ 2,670 करोड़ उच्चतर थे, कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्ति तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए निर्धारण (क्रमशः 33.80 प्रतिशत एवं 78.39 प्रतिशत से) की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से उच्चतर थी। कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्ति मध्यम कालिक राजकोषीय नीति

विवरण प्रक्षेपणों एवं पुनरीक्षित बजट अनुमानों की तुलना में अत्यधिक कम थी, जबकि करेत्तर राजस्व तैरहवे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित, पुनरीक्षित बजट अनुमानों एवं मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण से अधिक था।

वास्तविक कर राजस्व संग्रहण ₹ 36,567 करोड़ के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए प्रक्षेपित पुनरीक्षित बजट अनुमान ₹ 66,479 करोड़ यर्थाथवादी नहीं था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2015) के दौरान वित्त विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि राजस्व के स्वयं के कर में कमी अर्थव्यवस्था में उछाल की सामान्य कमी के कारण हुआ।

1-3-1-1 dj jktLo

मुख्य करों एवं शुल्कों के संबंध में सकल संग्रहण को rkfydk 1-8 में दिया गया है।

rkfydk 1-8: jkT; ds dj jktLo ds I 2kVd

jktLo 'kh'kz	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	fi Nys o'kz dh rgyuk ea
						of) (+)/deh(-) ¼ fr'kr e#
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	10,257	12,517	14,856	16,650	18,136	(+)8.92
राज्य उत्पाद शुल्क	3,603	4,317	5,078	5,907	6,696	(+)13.37
वाहन कर	1,198	1,357	1,531	1,599	1,824	(+)14.07
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	2,514	3,284	3,944	3,400	3,893	(+)14.50
भू-राजस्व	361	279	444	366	243	(-)33.61
माल तथा यात्री पर कर	1,746	2,047	2,395	2,579	2,686	(+)4.15
विद्युत पर कर एवं शुल्क	1,476	1,773	1,478	1,972	2,010	(+)1.93
अन्य कर*	264	1,399	856	1,079	1,079*	(+)0.00
dy dj jktLo	21,419	26,973	30,582	33,552	36,567	(+)8.99

* vl: djka ea -F'k Hkfe I s fHkUk vpy I Ei fYk ij dj ₹ 635 djkmH vk; rFk 0; ; ij vl: dj ₹ 284 djkmH , oa oLrpk rFk I okvka ij vl: dj rFk 'kq'd ₹ 160 djkmH I fefeyr g#
%L=kr% I cf/kr o'kka ds foYk yqk#

- राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 2014-15 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में 8.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2014-15 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में बिक्री, व्यापार आदि पर कर की प्रमुख हिस्सेदारी (49.60 प्रतिशत) थी, इसके पश्चात राज्य उत्पाद शुल्क (18.31 प्रतिशत), स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क (10.65 प्रतिशत), माल तथा यात्री कर (7.35 प्रतिशत), विद्युत पर शुल्क पर कर (5.50 प्रतिशत) एवं वाहन कर (4.99 प्रतिशत) की हिस्सेदारी थी।
- बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 1,486 करोड़ से) के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि का मुख्य कारण उप शीर्ष 102-राज्य बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत अधिक प्राप्तियां (₹ 1,406 करोड़ से) थी। राज्य उत्पाद शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि (₹ 789 करोड़ से) मुख्यतः '800-अन्य प्राप्तियां', के अंतर्गत थी। स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क के अंतर्गत वृद्धि (₹ 493 करोड़ से) मुख्यतः उप शीर्ष-स्टाम्पों की बिक्री (₹ 271 करोड़ से) के अंतर्गत थी। भू-राजस्व के अंतर्गत कमी (₹ 123 करोड़ से) मुख्यतः उप शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां', के अंतर्गत कम प्राप्तियां थी।

jktLo dh l xg.k ykx

वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वाहन कर, राज्य उत्पाद शुल्क एवं स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क का सकल संग्रहण, उनके संग्रहण पर हुआ व्यय एवं सकल संग्रहण से उसकी प्रतिशतता इसके साथ ही संबंधित विगत वर्षों के लिए अखिल भारतीय संग्रहण की औसत लागत को rkfydk 1-9 में दर्शाया गया है।

rkfydk 1-9% jktLo i kflr; ka dh l xg.k ykx

I - 0-	jktLo ds 'kh"z	o"z	ctV vupku	okLrfod l xg.k	jktLo ds l xg.k ij 0; ;	l xg.k ij 0; ; dh ifr'krkk	rkfydk 1-9%
							vf[ky Hkkjr; vkr ifr'kr e% %
1.	बिक्री व्यापार आदि पर कर	2013-14	16,500.00	16,649.85	136.63	0.82	0.73
		2014-15	19,500.00	18,135.96	144.81	0.80	0.88
2.	वाहन कर	2013-14	1,650.00	1,598.93	50.67	3.17	4.17
		2014-15	2,000.00	1,823.84	42.67	2.34	6.25
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	2013-14	5,750.00	5,907.39	1,320.37	22.35	2.96
		2014-15	6,730.00	6,695.54	1,233.87	18.43	1.81
4.	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	2013-14	4,000.00	3,400.00	85.93	2.53	3.25
		2014-15	4,000.00	3,892.77	102.96	2.64	3.37

rkfydk 1-9% jktLo i kflr; ka dh l xg.k ykx, o"z ds foYk yq'ks, o"z egky'kdkj 'kMfkd, o"z jktLo {k= yq'kijh{kj e-i: jkjk l d'fyr tkudkjhh

- 2014-15 के दौरान यह देखा गया कि राज्य उत्पाद शुल्क के संबंध में संग्रहण लागत का प्रतिशत अखिल भारतीय संग्रहण की औसत लागत से अधिक था। यद्यपि बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वाहन कर तथा स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क के संबंध में संग्रहण लागत अखिल भारतीय औसत से कम थी।
- 2014-15 के दौरान सभी करों अर्थात् बिक्री व्यापार आदि पर कर, वाहन कर, राज्य उत्पाद शुल्क तथा स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क का सकल संग्रहण बजट अनुमानों से कम था।

1-3-1-2 djskj jktLo

करेत्तर राजस्व में मुख्यतः ब्याज, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, वानिकी तथा वन्य प्राणी, शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति से प्राप्तियां शामिल हैं जैसा कि rkfydk 1-10 में दर्शाया गया है।

rkfydk 1-10% djskj jktLo dh l of) nj

jktLo 'kh"z	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2014&15 ds nk'ku i fr'kr of) (+)/deh(-)
ब्याज प्राप्तियां	299	1,571	301	318	1,261	(+)296.54
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	2,121	2,038	2,443	2,306	2,814	(+)22.03
वानिकी तथा वन्य प्राणी	837	879	910	1,037	969	(-)6.56
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	1,194	1,551	1,682	2,008	3,276	(+)63.15
लाभांश एवं लाभ	32	38	18	379	80	(-)78.89
अन्य करेत्तर प्राप्तियां	1,237	1,406	1,646	1,657	1,975	(+)19.19
; kx	5,720	7,483	7,000	7,705	10,375	(+)34.65

rkfydk 1-10% djskj jktLo dh l of) nj, o"z ds foYk yq'ks %

- करेत्तर राजस्व में, 2013-14 में ₹ 7,705 करोड़ से 2014-15 में ₹ 10,375 करोड़ तक, ₹ 2,670 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (₹ 1,268 करोड़ से) एवं ब्याज प्राप्तियों (₹ 943 करोड़ से) के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि थी।
- 2014-15 के दौरान, करेत्तर राजस्व में मुख्य रूप से योगदान करने वालों में शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति (31.58 प्रतिशत), अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग (27.12 प्रतिशत) एवं ब्याज प्राप्तियां (12.15 प्रतिशत) थी।
- राज्य सरकार द्वारा ऋण समेकन एवं राहत सुविधा योजना के अंतर्गत कोई भी राशि ऋण अधित्याग के रूप में प्राप्त नहीं की गई थी।

1-3-2 Hkkjr ljdkj lslgk; rk vuqku

rkydk 1-11% Hkkjr ljdkj lslgk; rk vuqku

₹ djkM+e#

fooj.k	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आयोजनेत्तर अनुदान	1,636	2,114	333	3,540	4,425
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	4,522	4,215	7,099	5,536	9,011
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	649	364	500	153	1,263
केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान	2,270	3,236	4,108	2,548	2,893
विशेष आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	--	--	--	--	--
; ksx	9,077	9,929	12,040	11,777	17,592
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि(+)/कमी(-) की प्रतिशतता	36.23	9.39	21.26	(-) 2.18	49.38
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में कुल अनुदान	17.50	15.86	17.10	15.55	19.85

l =kr% l rj/r o%kk ds fojk yqk#

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 2010-11 में ₹ 9,077 करोड़ से 2014-15 में ₹ 17,592 करोड़ (93.81 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः आयोजनेत्तर अनुदान (170.48 प्रतिशत), राज्य आयोजनागत योजनाओं (99.27 प्रतिशत) एवं केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं (94.61 प्रतिशत) के कारण हुई।

2014-15 में विगत वर्ष की तुलना में भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 49.38 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं (725.49 प्रतिशत) एवं राज्य आयोजनागत योजनाओं (62.77 प्रतिशत) के अंतर्गत अनुदानों में वृद्धि के कारण थी।

1-3-3 dthh; dj vrj.k

केन्द्रीय करों का हस्तांतरण वित्त आयोग अवार्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है। 2014-15 के दौरान ₹ 24,107 करोड़ के केन्द्रीय कर अंतरण वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण में दी गई अनुमानित राशि ₹ 27,681 करोड़ से अंशतः कम थे। यद्यपि इसमें 2013-14 में ₹ 22,715 करोड़ से ₹ 1,392 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर (₹ 981.13 करोड़ से) एवं निगम कर (₹ 778.87 करोड़ से) के अंतर्गत वृद्धि के कारण थी।

1-3-4 *rjgoa foYk vk; kx ds vuqkuka dk vf/kdre mi ; kx*

राज्य सरकार के विभिन्न अंगों में सुधार के लिए, तेरहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकारों के लिए अनुदानों की अनुशंसा की थी। वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान वित्त लेखों के विवरण पत्रक क्रमांक 11 एवं वित्त लेखे 2014-15 के विवरण पत्रक क्रमांक 14 के अनुसार, राज्य सरकार ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान ₹ 7,394.67 करोड़ के वित्त आयोग अनुदान प्राप्त किए (₹ 6,722.37 करोड़ मुख्य शीर्ष 1601-01-104- संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अंतर्गत वित्त आयोग अनुदान एवं ₹ 672.30 करोड़ मुख्य शीर्ष 1601-01-109-राज्य विपदा प्रतिक्रिया निधि के लिए अंशदान हेतु अनुदान)। 2010-15 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों के अधिकतम उपयोग की स्थिति जहाँ कुल प्रावधान ₹ एक करोड़ या अधिक था, *ifj'k"V 1-7* में दी गई है।

- कुल बजट प्रावधान ₹ 5,043.64 करोड़ में से, वर्ष 2010-15 के दौरान ₹ 3,326.41 करोड़, कुल राशि का 66 प्रतिशत उपयोग किया गया था। शेष राशि ₹ 1,717.23 करोड़ (34 प्रतिशत) में से ₹ 958.02 करोड़ को समर्पित/पुनर्विनियोजित किया गया था एवं ₹ 759.21 करोड़ शासकीय खाते में व्यपगत हो गए। यह तेरहवें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदानों के उपयोग में पहल की कमी को दर्शाता है।
- 2010-15 के दौरान मुख्य शीर्ष 3054-190-6446 केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा-सड़क एवं पुलों का रखरखाव (₹ 209.79 करोड़) एवं 5452-190-8808 सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य (₹ एक करोड़) के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग किया गया था।
- तथापि मुख्य शीर्ष 2029-800-5193 आपदा से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम (₹ पाँच करोड़) एवं 2235-800-6370 क्षमता निर्माण (₹ 13 करोड़) के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे। शेष प्रकरणों में, बचतों का प्रतिशत 11.26 और 99.41 के बीच रहा, जो यह दर्शाता है कि योजनाओं का क्रियान्वयन उपयुक्त ढंग से नहीं हुआ था।
- मुख्य शीर्ष 2400-101-6898-वानिकी अनुरक्षण एवं विकास के अंतर्गत ₹ 12.43 करोड़ के अप्रयुक्त प्रावधान के विरुद्ध ₹ 19.78 करोड़ समर्पित किए गए थे परिणामस्वरूप ₹ 7.35 करोड़ का आधिक्य समर्पण हुआ जो अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाता है।

1-3-4-1 *rjgoa folk vk; kx }kjk vuqkfl r ctV vuqkuka dks 0; i xr gkus l s cpkus ds fy, fuf/k; k dk vkgj.k*

मध्य प्रदेश कोषालय नियम 284 के प्रावधानों के अनुसार, जब तक तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो तब तक कोषालय से धन का आहरण नहीं किया जाना चाहिए। मांग की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों को व्यपगत होने से रोकने के लिए कोषालय से अग्रिम आहरण गम्भीर अनियमितता है एवं इस प्रकार के आहरण के लिए त्रुटि करने वाले व्यक्ति स्वयं अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए जिम्मेदार है।

अवधि 2011-15 के लिये विस्तृत विनियोग लेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि तेरहवें वित्त आयोग से संबंधित राशि ₹ 61.39 करोड़ (*rkydk 1-12* में दर्शाया गया), 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरित की गयी।

रक्यदक 1-12% ctV dks 0; i xr gkus l s cpkus ds fy, fuf/k; ka ds vkgj .k dk fooj .k

₹ djkm+e

o"l	vunpu Øekd , oa uke	; kst uk dk 'kh"l , oa uke	dy ctV i ko/kku %ey+ vuq j d½	fd; k x; k 0; ;	8443& fl foy tek&800 vU; tek ea vrfjr j kf' k
2011-12	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-01-110-1301-6453-स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण	40.65	6.10	1.22
	31- योजना, आर्थिकी एवं सांख्यिकी	3451-101-0101-6267-जिला नवाचार कोष	16.00	16.00	16.00
	41-आदिवासी क्षेत्र उप योजना (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)	4210-01-796-110-1302-6453-स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण	12.50	4.93	2.53
	64-अनुसूचित जाति उप योजना (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)	4210-01-789-110-1303-6453-स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण	9.35	2.39	0.31
2012-13	03-पुलिस	2055-109-1301-6463-पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन	9.07	8.75	4.18
2014-15	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-01-110-1301-6453-स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण	60.00	51.68	20.29
	41-आदिवासी क्षेत्र उप योजना (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)	4210-01-110-1302-6453-स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण	20.50	13.50	2.17
	64-अनुसूचित जाति उप योजना (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)	4210-01-110-1303-6453-स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण	30.00	24.28	8.69
	73- चिकित्सा शिक्षा	4210-03-105-1301-6458-चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में वाइरोलॉजी प्रयोगशाला की स्थापना	12.00	6.00	6.00
; ksx			210.07	133.63	61.39

₹=kr% l xdf/kr o"lka ds fofu; ksx ysf k½

उपर्युक्त वर्णित प्रकरणों के संबंध में, संबंधित वित्तीय वर्षों के अंत में आहरित राशि शासकीय लेखों में प्रेषित नहीं की गयी इस प्रकार तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित निधि का आहरण बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिये किया गया।

1-3-5 l #kkfor jktLo dh gkfu (Foregone Revenue)

31 मार्च 2015 को दो विभागों द्वारा सूचित किए गए राजस्व अपवंचन के विवरण रक्यदक 1-13 में दिए गए हैं। अन्य चार राजस्व विभागों ने जानकारी उपलब्ध नहीं करायी है।

रक्यदक 1-13% dj dk vi o pu

jktLo dh iz-fr	31 epl 2014 dks y fcr i xj .kka dh l a ; k	2014&15 ds nkj ku tkudkj h ea vk, i xj .kka dh l a ; k	i xj .kka dh dy l a ; k	i xj .kka dh l a ; k ftuea vlo s'k .k i w k l dj fy; k x; k , oa c<kb l x b l 'kkfLr l fgr vrfj ä ekax		31-03- 2015 dks y fcr i xj .kka dh l a ; k
				i xj .kka dh l a ; k	j kf' k ₹ djkm+e	
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	269	352	621	274	269.10	347
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	13,576	12,036	25,612	10,368	32.98	15,244
; ksx	13,845	12,388	26,233	10,642	302.08	15,591

₹=kr% egky s'kkakj #kkfkd , oa jktLo (ks= ysf kki jh)kk½ e-iz jkjk l #kkfj r tkudkj h½

1-4 i wthxr i kflr; ka

rkfydk 1-14 पूंजीगत प्राप्तियों की संरचना एवं संवृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

rkfydk 1-14% i kflr; ka dh l jupuk , oa l of) dh i ofYk

₹ djkm+e

jkT; dh i kflr; ka ds L=kr	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
i wthxr i kflr; ka	7,861	15,899	8,864	9,672	21,863
__ .k/kj i wthxr i kflr; ka	403	9,149	73	131	6,794
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	367	23	31	36	28
अंतर्राज्यीय परिशोधन	2	3	9	2	1
कर्ज एवं अग्रिमों की वसूली	34	9,123	33	93	6,765
__ .k i wthxr i kflr; ka	7,458	6,750	8,791	9,541	15,069
पूंजीगत प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	-9.13	102.25	-44.25	9.12	126.04
ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	739.58	2,170.22	-99.20	79.45	5,086.26
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	-13.31	-9.49	30.24	8.53	57.94
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.75	15.86	18.39	20.33	16.86

₹=kr% l of/kr o'kkā ds foYk ysfk

1-4-1 fofuoš k l s i kflr

वित्त लेखे 2014-15 के अनुसार, विविध पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत सहकारी समितियों/बैंकों के विनिवेश में 2013-14 में ₹ 25.54 करोड़ से 2014-15 में ₹ 22.22 करोड़ की अंशतः कमी आई।

1-4-2 dtl , oa vfxekā dh ol ify; ka

2014-15 के दौरान ₹ 6,765 करोड़ के कर्ज एवं अग्रिमों की वसूली बजट अनुमानों (₹ 122.35 करोड़) से बहुत अधिक रही। विगत वर्ष की तुलना में वास्तविक वसूली में ₹ 6,672 करोड़ की वृद्धि 'विद्युत परियोजनाओं के लिये ऋण' के अंतर्गत ₹ 6,694 करोड़ की वसूली के कारण थी।

1-4-3 ykd __ .k i kflr; ka

लोक ऋण प्राप्तियों में आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण सम्मिलित थे। लोक ऋण प्राप्तियों में 2013-14 में ₹ 8,328 करोड़ से 2014-15 में ₹ 13,696 करोड़ तक ₹ 5,528 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः आंतरिक ऋण प्राप्तियों में वृद्धि (₹ 5,368 करोड़ से) के अन्तर्गत थी। आंतरिक ऋण में वृद्धि मुख्यतः बाजार कर्ज एवं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज के अंतर्गत वृद्धि के कारण थी।

भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम में 2013-14 में ₹ 1,212 करोड़ से 2014-15 में ₹ 1,372 करोड़, ₹ 160 करोड़ की अंशतः वृद्धि हुई। संपूर्ण वृद्धि राज्य/संघ क्षेत्र आयोजनागत योजना के लिए कर्ज के अंतर्गत थी।

1-5 ykd ys[ks i kflr; ka

कुछ निश्चित लेन देनों के संबंध में प्राप्तियां एवं संवितरण जैसे अल्प बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियां, जमा, उचंत, प्रेषण, इत्यादि जो कि समेकित निधि के भाग नहीं हैं, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं इन पर राज्य विधानसभा द्वारा वोट नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर सरकार एक

बैंकर की तरह कार्य करती है। संवितरण के पश्चात शेष राशि, सरकार के पास उपलब्ध वह राशि है जिसका वह उपयोग कर सकती है।

2010-15 के दौरान लोक लेखे प्राप्तियों के संबंध में प्रवृत्तियों को rkydk 1-15 में दर्शाया गया है।

rkydk 1-15: ykd ysk i kflr; ka ea i dfyk; ka

₹ djkM+e

fofHkUk 'kh"ks ds vrxr l d k/ku	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
ykd ysk i kflr; ka % dy%	65,675	76,315	86,248	94,811	1,10,295
(क) अल्प बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	1,737	2,033	2,319	2,784	3,143
(ख) आरक्षित निधि	1,191	1,534	2,441	1,612	1,172
(ग) जमा एवं अग्रिम	9,724	9,872	6,502	10,369	16,349
(घ) उचंत एवं विविध	41,810	50,620	59,819	64,444	76,099
(ङ) प्रेषण	11,213	12,256	15,167	15,602	13,532

% =kr% l dfkr o%ks ds foYk ysk


लोक लेखे प्राप्तियों (सकल) में 2013-14 में ₹ 94,811 करोड़ से 2014-15 में ₹ 1,10,295 करोड़, कुल ₹ 15,484 करोड़ (16 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः जमा एवं अग्रिमों (₹ 5,980 करोड़ से) एवं उचंत तथा विविध (₹ 11,655 करोड़ से) के अंतर्गत हुई।

1-6 l d k/kuka dk vuq; z; ksx

व्यय के आवंटन का विश्लेषण राज्य सरकार के स्तर द्वारा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मुख्य व्यय उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा गया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढाँचे के अंतर्गत, घाटे अथवा उधारियों द्वारा वित्तपोषित लोक व्यय को उठाने में बजटीय प्रतिबंध है, इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राजकोषीय सुधार एवं समेकन की प्रक्रिया सामाजिक क्षेत्र के विकास की ओर अग्रसर व्यय की लागत पर नहीं है।

1-6-1 0; ; dh of) , oa l j; puk

pkVl 1-7 विगत पांच वर्षों की अवधि (2010-15) के कुल व्यय (लोक ऋणों पुनर्भुगतानों को छोड़कर) की प्रवृत्ति को दर्शाता है। विभिन्न संघटकों के अंतर्गत किए गए व्यय को pkVl 1-8 में दर्शाया गया है एवं गतिविधियों/सेवाओं के द्वारा व्यय की प्रवृत्ति को pkVl 1-9 में दर्शाया गया है।



% =kr% l dfkr o%ks ds foYk ysk

2010-15 की अवधि के दौरान, राज्य के कुल व्यय में ₹ 49,258 करोड़ (86 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में क्रमशः ₹ 37,361 करोड़ (83 प्रतिशत) एवं ₹ 3,078 करोड़ (35 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।


2014-15 के दौरान, 2013-14 की तुलना में कुल व्यय में ₹ 21,025 करोड़ (25 प्रतिशत से) की वृद्धि मुख्यतः राजस्व व्यय में ₹ 12,503 करोड़ (18 प्रतिशत) एवं कर्ज एवं अग्रिमों के अंतर्गत ₹ 7,458 करोड़ (147 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण थी।

2014-15 के दौरान कुल आयोजना व्यय⁴ एवं कुल आयोजनेत्तर व्यय⁵ में विगत वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ 7,863 करोड़ तथा ₹ 13,162 करोड़ की वृद्धि हुई। 2014-15 के दौरान कुल आयोजना व्यय एवं आयोजनेत्तर व्यय कुल व्यय का क्रमशः 38 प्रतिशत एवं 62 प्रतिशत था।

राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यतः ग्रामीण विकास (₹ 3,212 करोड़ से), शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति (₹ 2,525 करोड़ से), कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां (₹ 2,077 करोड़ से), उर्जा (₹ 1,765 करोड़ से) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 1,238 करोड़ से) में वृद्धि के कारण थी।

2014-15 के दौरान, आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 5,415 करोड़ (11 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2014-15 में कुल व्यय (₹ 1,06,787 करोड़) का 83 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियों (₹ 88,641 करोड़) से पूरा किया जा सका था।




जैसा कि पृष्ठ 1-8 से देखा जा सकता है कि कुल व्यय में राजस्व व्यय के अंश में 2010-11 में 78 प्रतिशत से 2014-15 में 77 प्रतिशत की अंतरवर्षीय परिवर्तनों के साथ कमी आई। कुल व्यय में पूंजीगत व्यय के अंश में 2010-11 में 15 प्रतिशत से 2014-15 में 11 प्रतिशत तक, वर्ष 2012-13 को छोड़कर, लगातार कमी आई।

जैसा कि पृष्ठ 1-8 से देखा जा सकता है कि कुल व्यय में राजस्व व्यय के अंश में 2010-11 में 78 प्रतिशत से 2014-15 में 77 प्रतिशत की अंतरवर्षीय परिवर्तनों के साथ कमी आई। कुल व्यय में पूंजीगत व्यय के अंश में 2010-11 में 15 प्रतिशत से 2014-15 में 11 प्रतिशत तक, वर्ष 2012-13 को छोड़कर, लगातार कमी आई।

⁴ राजस्व, पूंजीगत तथा कर्ज एवं अग्रिमों के अंतर्गत आयोजना व्यय सम्मिलित है।

⁵ राजस्व, पूंजीगत तथा कर्ज एवं अग्रिमों के अंतर्गत आयोजनेत्तर व्यय सम्मिलित है।



संसाधन वित्त

- चित्र 1-9 में दर्शाये अनुसार कुल व्यय की तुलना में सामान्य सेवाओं (ब्याज की अदायगी सहित) एवं सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत व्यय के अंश में क्रमशः 2010-11 में 25.77 प्रतिशत से 2014-15 में 21.18 प्रतिशत एवं 2010-11 में 32.82 प्रतिशत से 2014-15 में 31.97 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत व्यय के अंश में 2010-11 में 29.85 प्रतिशत से 2014-15 में 31.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विकास व्यय, जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं सम्मिलित होती हैं, में 2010-11 में 62.67 प्रतिशत से 2014-15 में 63.12 प्रतिशत तक अंतरवर्षीय परिवर्तनों सहित वृद्धि हुई।
- कुल व्यय में सहायता अनुदानों के अंश में 2010-11 में 5.10 प्रतिशत से 2014-15 में 3.96 प्रतिशत तक अंतरवर्षीय उतार-चढ़ाव सहित कमी आई।
- कुल व्यय में कर्ज एवं अग्रिमों के अंश में 2010-11 में 6.46 प्रतिशत से 2014-15 में 11.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1-6-2 पूंजीगत व्यय ;

- पूंजीगत व्यय में 2010-11 में ₹ 8,800 करोड़ से 2012-13 में ₹ 11,567 करोड़ की वृद्धि हुई उसके बाद 2013-14 में ₹ 10,813 करोड़ तक की कमी आई एवं 2014-15 में फिर से ₹ 11,878 करोड़ तक की वृद्धि हुई। 2014-15 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में ₹ 1,065 करोड़ (10 प्रतिशत से) की वृद्धि थी। पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 1,065 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः ग्रामीण विकास (₹ 546 करोड़ से), ऊर्जा (₹ 279 करोड़ से) एवं परिवहन (₹ 492 करोड़ से) के अंतर्गत थी। 2014-15 के दौरान कुल पूंजीगत व्यय बजट अनुमान ₹ 14,142 करोड़ से (₹ 2,264 करोड़ से) कम था।

1-6-3 राजस्व व्यय ;

- राज्य के राजस्व व्यय में 2010-11 में ₹ 45,012 करोड़ से 2014-15 में ₹ 82,373 करोड़ की वृद्धि हुई, जो इस अवधि के दौरान 16.60 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि को दर्शाती है। विगत वर्ष की तुलना में 2014-15 के

दौरान राजस्व व्यय में कुल ₹ 12,503 करोड़ (17.89 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। 2014-15 के दौरान आयोजनेत्तर राजस्व व्यय ₹ 55,858 करोड़ था जो कुल राजस्व व्यय का 68 प्रतिशत था।

- वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (₹ 18,986 करोड़ से: 51.49 प्रतिशत), तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए निर्धारणों से बहुत उच्चतर था लेकिन यह राज्य सरकार द्वारा मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए प्रक्षेपणों (9.88 प्रतिशत) से अंशतः कम था जैसा कि rkydk 1-16 में दर्शाया गया है।

rkydk 1-16% vk; kstusvkj jktLo 0; ; ealof) dh idfYk

₹ djkm+e

o"kl	rjgosa foYk vk; ks }kjk fd, x, fu/kkj .k	e/; e dkfyd jkt dks'kh; uhr foj .k eajkt; ljdkj }kjk fd; k x; k fu/kkj .k	okLrfod vk; kstusvkj jktLo 0; ;
2014-15	36,872	61,980	55,858

l=kr % foYk yf'ks vkj rjgosa foYk vk; ks dh vuq'kd k rFik jkt dks'kh; mYk jnkf; Ro , oactV idku vflfu; e ds v'hu iLrr foj .k%

- आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में 2010-11 में ₹ 32,101 करोड़ से 2014-15 में ₹ 55,858 करोड़ तक की वृद्धि हुई जो इस अवधि के दौरान 14.80 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर प्रदर्शित करती है। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 10.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2015) के दौरान वित्त विभाग द्वारा सूचित किया गया कि आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यतः वेतन, पेंशन और ब्याज के भुगतान करने के कारण हुई।

- 2014-15 के दौरान आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में ₹ 5,415 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः विद्युत (₹ 1,951 करोड़ से), सामाजिक कल्याण एवं पोषण (₹ 911 करोड़ से), शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 910 करोड़ से) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 143 करोड़ से) में वृद्धि के कारण थी।
- आयोजना राजस्व व्यय जिसमें 2010-15 की अवधि के दौरान लगातार वृद्धि हुई थी, 2014-15 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में ₹ 7,088 करोड़ (36.49 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2014-15 आयोजना राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यतः ग्रामीण विकास (₹ 3,101 करोड़ से), शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 1,616 करोड़ से), कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां (₹ 1,572 करोड़ से) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 1,094 करोड़ से) के अंतर्गत थी जिसे सामाजिक कल्याण एवं पोषण (₹ 702 करोड़ से) में कमी के द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया।

1-6-4 oruj C; kt Hkxrkuj idku Hkxrkuj , oajktl gk; rkvka ij 0; ;

राज्य सरकार के ब्याज भुगतान पर व्यय, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन एवं राजसहायताओं पर व्यय प्रतिबद्ध व्यय होते हैं। rkydk 1-17 एवं pkVL 1-10 2010-15 की अवधि के दौरान इन संघटकों पर व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।

रक्यदक 1-17: िफर) 0; ; दस िरकवद


₹ दकड+े

िफर) 0; ; दस ि रकवद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014&15	
					ctV vupku	okLrfod vkdM\$
वेतन एवं मजदूरी, जिसमें	13,100 (25.26)	14,113 (22.54)	16,026 (22.76)	18,361 (24.24)	26,178	19,997 (22.56)
आयोजनेत्तर शीर्ष	11,490	12,274	14,133	16,081	--	17,285
आयोजना शीर्ष**	1,610	1,839	1,893	2,280	--	2,712
ब्याज अदायगियां	5,049 (9.74)	5,300 (8.47)	5,574 (7.91)	6,391 (8.44)	6,929	7,071 (7.98)
पेंशन भुगतान	3,767 (7.26)	4,389 (7.01)	4,947 (7.02)	5,932 (7.83)	6,334	6,836 (7.71)
राजसहायता, जिसमें	1,810 (3.49)	2,926 (4.67)	5,697 (8.09)	6,567 (8.67)	46,275	9,954 (11.23)
आयोजनेत्तर शीर्ष	1,581	1,544	4,148	4,596	--	6,953
आयोजना शीर्ष	229	1,382	1,549	1,971	--	3,001
; kx	23,726 (46)	26,728 (43)	32,244 (46)	37,251 (49)	85,716 (83)	43,858 (49)

ukv% dks Bdkk ds vkadM\$ jktLo i kfr; ka ds ifr'kr i nkr'kr dfrs gA

**vk; kstuk 'k'k'ed ea dnr; i dfr; ; kst ukvka ds vktu i nkr'kr oru , oa etnjh i fefyr gA

%-kr% i dfr'kr o'kkk ds foYk yf'k; , oa i vktu egkyf'kkdkj %yf'kk , oa gdnkjhh% jkjk i dfr'kr ogh, y-i h- vkadM\$



(L-kr% i dfr'kr o'kkk ds foYk yf'k; i vktu egkyf'kkdkj %yf'kk , oa gdnkjhh% e/; i nkr'kr jkjk i dfr'kr vkadM\$ rFkk ctV nLrkost)

2014-15 के दौरान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज भुगतान एवं राजसहायताओं पर कुल व्यय (₹ 43,858 करोड़) राजस्व व्यय का 53 प्रतिशत एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का 68 प्रतिशत था। 2010-15 की अवधि के दौरान वेतन एवं मजदूरी, ब्याज भुगतान, पेंशन भुगतान एवं राजसहायताओं पर समग्र व्यय में, 16.97 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से 85 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। 2013-14 में 15.53 प्रतिशत की तुलना में 2014-15 में 17.74 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। 2010-15 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में यह 43 प्रतिशत से 49 प्रतिशत के मध्य रहा। 2014-15 के दौरान, यह राजस्व प्राप्तियों का 49 प्रतिशत रहा एवं बजट अनुमान से कम था। संघटकवार विश्लेषण नीचे दिया गया है:

1-6-4-1 oru , oae tnijh

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में 2010-11 में ₹ 13,100 करोड़ से 2014-15 में ₹ 19,997 करोड़ तक 53 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2014-15 में वेतन एवं मजदूरी पर वास्तविक व्यय बजट अनुमान के प्रक्षेपणों (₹ 26,178 करोड़) से कम था। 2010-15 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशतता के रूप में वेतन एवं मजदूरी पर व्यय 22.54 प्रतिशत एवं 25.26 प्रतिशत के मध्य रहा। 2014-15 के दौरान यह राजस्व प्राप्तियों का 22.56 प्रतिशत था।

विगत वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान आयोजनेत्तर शीर्ष के अंतर्गत वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में सात प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

1-6-4-2 idku Hkqrku

पेंशन भुगतानों पर व्यय में 2010-11 में ₹ 3,767 करोड़ से 2014-15 के दौरान ₹ 6,836 करोड़ तक की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में 2014-15 में ₹ 904 करोड़ (15 प्रतिशत से) की वृद्धि मुख्यतः अधिवार्षिकी एवं सेवानिवृत्ति भत्ते (₹ 569 करोड़ से), उपदान (₹ 124 करोड़ से), परिवार पेंशन (₹ 90 करोड़ से), परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए सरकार का अंशदान (₹ 63 करोड़ से) एवं छुट्टी नकदीकरण लाभ (₹ 43 करोड़ से) के अंतर्गत वृद्धि के कारण थी।

2014-15 में वास्तविक पेंशन भुगतान ₹ 6,836 करोड़, बजट अनुमान ₹ 6,334 करोड़ से 7.93 प्रतिशत अधिक एवं तेरहवें वित्त आयोग द्वारा प्रक्षेपित ₹ 4,294 करोड़ से 59.20 प्रतिशत अधिक था।

vd knk; h idku ; kst uk

राज्य सरकार के जिन कर्मचारियों की 1 जनवरी 2005 को या उसके पश्चात नियुक्ति हुई है वे नई पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं जिसे अंशदायी पेंशन योजना परिभाषित किया गया है। योजना के अनुसार, कर्मचारियों के अंशदान के साथ राज्य सरकार का अनुरूप अंश मनोनीत निधि प्रबंधन को NSDL/ट्रस्टी बैंको द्वारा अंतरित किया जाता है। यद्यपि कर्मचारियों के अंशदान की वास्तविक राशि एवं राज्य सरकार का अनुरूप अंशदान का अनुमान नहीं लगाया गया है। राज्य सरकार नई पेंशन योजना में मुख्य शीर्ष “0071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली” के अंतर्गत कर्मचारियों के अंशदान प्राप्ति करती है तथा बजटिंग की विधि अपनाती है। तत्पश्चात ये अंशदान उक्त मुख्य शीर्ष 0071-के अंतर्गत लघुशीर्ष ‘900-वापसी घटाइए’ संचालित कर निधि को अंतरित की जाती है। चूंकि समेकित निधि सरकार के लिए वर्ष के अंत में बंद कर दी जाती है, अतः किसी वर्ष में निधि को प्रेषित अंशदानों में किसी भी प्रकार की कमी आगामी वर्ष के लेखों में उपलब्ध नहीं होती है।

2014-15 के दौरान, कर्मचारियों के अंशदान ₹ 216.73 करोड़ के विरुद्ध सरकार ने ₹ 239.40 करोड़ अंशदान किया। वर्तमान लेखाकरण कार्यविधि के अंतर्गत यह अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि 2014-15 के लिए सरकार का अंशदान कर्मचारियों के अंशदान से अधिक पूर्व के वर्षों की कमी के विरुद्ध था। हमने देखा कि मुख्य शीर्ष 0071 के अंतर्गत जमा कुल अंशदान ₹ 456.13 करोड़ में से राज्य सरकार ने मार्च 2015 तक NSDL/ट्रस्टी बैंको को केवल ₹ 438.47 करोड़ अंतरित किए थे। चूंकि यह राशि निधि में नहीं रखी गई थी इसलिए यह वित्त वर्ष की समाप्ति पर शासकीय खाते में व्यपगत हो गई थी। असंग्रहीत, बे-मेल एवं अंतरित नहीं की गई राशियां, अर्जित ब्याज सहित योजना के अंतर्गत बकाया देयताओं को दर्शाती हैं।

1-6-4-3 ळ; kt vnk; fx; ka

2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान किए गए ब्याज भुगतान rkfydk 1-18 में दिए गए हैं।

rkfydk 1-18: ळ; kt vnk; fx; ka

₹ djkM+e

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
ब्याज अदायगियां	5,049	5,300	5,574	6,391	7,071

॥=ks% I ळ;kt vnk; fx; ka ds foYkh; yqk

2014-15 के दौरान ₹ 7,071 करोड़ की ब्याज अदायगियां राजस्व प्राप्तियों की 7.98 प्रतिशत लेखांकित की गई और राजस्व व्यय की 8.58 प्रतिशत थी। ब्याज अदायगियां मुख्यतः बाजार कर्ज (₹ 3,155 करोड़), केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ (₹ 1,755 करोड़), राज्य भविष्य निधि (₹ 977 करोड़) एवं अन्य आंतरिक ऋण (₹ 447 करोड़) पर थी।

विगत वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान ब्याज अदायगी में ₹ 680 करोड़ (10.64 प्रतिशत) की वृद्धि बाजार कर्ज पर ब्याज (₹ 575 करोड़ से), राज्य भविष्य निधि (₹ 134 करोड़ से) एवं राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज (₹ 116 करोड़ से) के अंतर्गत वृद्धि का परिणाम थी जिसे मुख्यतः अन्य दायित्वों पर ब्याज (₹ 135 करोड़ से) के अंतर्गत कमी द्वारा प्रतिसन्तुलित किया गया।

वर्ष के दौरान ₹ 7,071 करोड़ की ब्याज अदायगियां बजट अनुमान ₹ 6,929 करोड़ से उच्चतर एवं तेरहवें वित्त आयोग द्वारा 2014-15 के लिए किए गए प्रक्षेपणों (₹ 7,622 करोड़) से कम थी।

1-6-4-4 jktl gk; rk, a

2014-15 के दौरान ₹ 9,954 करोड़ (आयोजनेतर: ₹ 6,953 करोड़ एवं आयोजना: ₹ 3,001 करोड़) की राजसहायता के भुगतान को राजस्व प्राप्तियों का 11.23 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 12.08 प्रतिशत लेखांकित किया गया।

2014-15 के दौरान, कुल ₹ 9,954 करोड़ की राजसहायताओं में से, ₹ 4,923 करोड़ (49 प्रतिशत) ऊर्जा विभाग के अंतर्गत थी। 2014-15 में वास्तविक राजसहायता बजट अनुमान ₹ 46,275 करोड़ की 21.51 प्रतिशत थी।

विगत वर्ष की तुलना में 2014-15 में राजसहायता की राशि में वृद्धि (₹ 3,387 करोड़ से) मुख्यतः ऊर्जा (₹ 1,882 करोड़ से), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (₹ 447 करोड़ से) एवं फसल कृषि कर्म (₹ 872 करोड़ से) की राजसहायता में वृद्धि के कारण थी।

1-6-5 jkT; I jdkj }kjk LFkkuh; fudk; ka rFkk vU; I LFkkuh; dks foYkh; I gk; rk

2013-14 से 2014-15 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को अनुदानों एवं ऋणों के द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता की प्रमात्रा rkfydk 1-19 में प्रस्तुत की गई है।

Rkfydk 1-19: LFkkuh; fudk; ka , oa vU; I LFkkuh; dks foYkh; I gk; rk

₹ djkM+e

I LFkkuh; dks foYkh; I gk; rk	2013-14	2014-15
शैक्षणिक संस्थाएं	3,862.98	4,457.99
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	743.05	792.14
आवास	225.02	829.19
नगरीय विकास	1,170.22	565.49

1.1.Fkkvka dks foYkh; I gk; rk	2013-14	2014-15
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	387.91	500.28
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	649.67	687.16
ग्रामीण विकास	2,650.05	5,941.93
पंचायती राज	4,314.29	3,995.44
जल आपूर्ति तथा सफाई	237.94	179.35
अन्य संस्थाएं	712.21	718.82
; kx	14,953.34	18,667.79
jktLo 0; ; ds ifr'kr ds : i ea I gk; rk	21.40	22.66

(L=kr% i rku egtyr'kkdj %ys'kk , oa gdnkjhh' e/; i n's'k ds lgh; , y-l h-vkxM)

- स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता में 2013-14 में ₹ 14,953.34 करोड़ से 2014-15 में ₹ 18,667.79 करोड़ तक ₹ 3,714.45 करोड़ की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः ग्रामीण विकास (₹ 3,291.88 करोड़ से: 124 प्रतिशत) को वित्तीय सहायता के कारण हुई।
- राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में सहायता में 2013-14 में 21.40 प्रतिशत से 2014-15 में 22.66 प्रतिशत तक आंशिक वृद्धि हुई।

1-6-6 LFkkuh; fudk; ka dh ys'kki jh'kk 0; oLFkk, a , oa fuf/k; ka dk gLrkarj . k

तेहत्तरवें एवं चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, के पश्चात नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों को स्पष्टतः परिभाषित कार्यों व जिम्मेदारियों से निहित करते हुए स्थानीय स्वशासी सरकार के रूप में सम्पूर्ण और जीवंत संस्थान बनाया गया। तदनुसार, राज्य सरकार ने नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को तीन प्रकार⁶ से संगठित किया। वर्तमान में, राज्य में 378 नगरीय स्थानीय निकाय⁷ एवं 23,369 पंचायती राज संस्थाएं⁸ हैं।

1-6-6-1 fuf/k; kq dk; ka , oa veys dk varj . k

संशोधन के अनुसार (संविधान की ग्यारहवीं एवं बारहवीं अनुसूची) राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य एवं नगरीय स्थानीय निकायों को 18 कार्य हस्तांतरित किए जाने थे जिनका विवरण ifjf'k"V 1-8 में दिया गया है। यद्यपि राज्य सरकार ने नगरीय स्थानीय निकायों को सभी कार्य हस्तांतरित कर दिए थे, सरकार (सितम्बर 2015) द्वारा कोई भी निधि एवं अमला अलग से अंतरित नहीं किया गया। हालांकि पंचायती राज संस्थाओं को कार्यों का हस्तांतरण नहीं किया गया था।

1-6-6-2 uxjh; LFkkuh; fudk; ka , oa i pk; rh jkt I LFkkvka dks vuqkuka dk gLrkarj . k

तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा एवं फरवरी 2010 में राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किये, राज्य सरकार के विभाजनीय कोष⁹ का एक प्रतिशत एवं चार प्रतिशत क्रमशः नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। वर्ष 2014-15 के दौरान, वित्त विभाग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं में राज्य वित्त आयोग के अनुदान हस्तांतरित किए गए जैसा कि rkfydk 1-20 में दर्शाया गया है।

⁶ नगरीय स्थानीय निकाय:- बड़े नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पालिका निगम, छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पालिका परिषद एवं संक्रमणकालीन क्षेत्रों के लिए नगर परिषद, पंचायती राज संस्थाएं:-जिला स्तर पर जिला पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत एवं ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत

⁷ नगरीय स्थानीय निकाय:-16 नगर पालिका निगम, 98 नगर पालिका परिषद, 264 नगर परिषद

⁸ पंचायती राज संस्थाएं:-50 जिला पंचायत, 313 जनपद पंचायत, 23006 ग्राम पंचायतें

⁹ विभाजनीय कोष का तात्पर्य विगत वर्ष के राज्य के कर राजस्व में से कर संग्रहण हेतु व्यय दस प्रतिशत को कम करने के बाद नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए राजस्व को घटाने के उपरान्त प्राप्त राशि से है।

rkfydk 1-20% uxjh; LFkkuh; fudk; ka , oa iapk; rh jkt l LFkku dks
vupnkuka dk gLrkjrj .k

₹ djkm+e

o"z	uxjh; LFkkuh; fudk;		vf/kd tkjh dh xbà fuf/k; ka	iapk; rh jkt l LFkku		de tkjh dh xbà fuf/k; ka
	fuf/k; ka tks gLrkfjr dh tkuh Fkha	okLrfod gLrkfjr dh xbà fuf/k; ka		fuf/k; ka tks gLrkfjr dh tkuh Fkha	okLrfod gLrkfjr dh xbà fuf/k; ka	
1	2	3	(3-2)	4	5	(4-5)
2014-15	256.79	270.47	13.68	1027.14	591.47	435.67

उपर्युक्त rkfydk 1-20 से देखा जा सकता है कि वित्त विभाग ने 2014-15 में नगरीय स्थानीय निकायों को ₹ 13.68 करोड़ की अधिक निधि जारी की हालांकि 2014-15 में पंचायती राज संस्थाओं को ₹ 435.67 करोड़ की निधि कम जारी की गयी। नगरीय स्थानीय निकायों को अधिक एवं पंचायती राज संस्थाओं को कम निधि जारी करने के कारण वित्त विभाग द्वारा सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।

1-6-6-3 ys[kki jh[kk 0; oLFkk, a

तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था के अनुसार, संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन उसी तरह करेंगे जैसे वे उनके स्वयं के प्रतिवेदन हो। 2014-15 के अंत में नगरीय स्थानीय निकायों में 2984 अभ्युक्तियां (2014-15 के दौरान जारी 805 अभ्युक्तियों सहित) एवं पंचायती राज संस्थाओं में 23855 अभ्युक्तियां (2014-15 के दौरान जारी 3148 अभ्युक्तियों सहित) अनुपालन हेतु शेष थी।

1-6-6-4 ifronu dk LFkkuu

पंचायती राज संस्थाओं के लिए मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम 1993 (जुलाई 2011) एवं नगरीय स्थानीय निकायों के लिए मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 एवं मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 (जनवरी 2012) में संशोधन के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन तथा संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 2013-14 के लिए राज्य का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन मध्य प्रदेश के राज्यपाल को, विधानसभा में पेश करने हेतु प्रस्तुत किया गया था (मई 2015)। मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2015) कि वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा के वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा।

1-7 0; ; dh xq koYkk

राज्य में बेहतर सामाजिक और भौतिक अधोसंरचना की उपलब्धता सामान्यतः उसके व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के अंतर्गत मुख्यतः तीन पक्ष समाविष्ट होते हैं यथा व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवा उपलब्ध कराने के लिये पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता और उसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय-परिणाम संबंधों का आंकलन)।

1-7-1 l koIfud 0; ; dh i; Mrrk

राज्य सरकार को सौंपे गए सामाजिक एवं आर्थिक अधोसंरचना से संबंधित व्यय उत्तरदायित्व, वृहद् रूप से राज्य के विषय है। मानवीय विकास के स्तरों में वृद्धि हेतु अपेक्षित है कि राज्य प्रमुख सामाजिक सेवाओं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपने व्यय बढ़ाए। अल्प राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय की तुलना में एक संवर्ग विशेष के

अंतर्गत व्यय का अनुपात) एक क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई कही जा सकती है, यदि उस वर्ष के लिए विशेष व्यय शीर्ष को दी गई प्राथमिकता सामान्य संवर्ग के राज्यों के औसत से नीचे होती है।

rkfydk 1-21 में 2011-12, 2013-14 एवं वर्तमान वर्ष 2014-15 में सामान्य संवर्ग के राज्यों के औसत की तुलना में विकास व्यय, सामाजिक व्यय एवं पूंजीगत व्यय के संबंध में राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण किया गया है।

rkfydk 1-21% 2011&12] 2013&14 , oa 2014&15 ea jkT; dh jkt dks'kh; i kFkfedrk

jkT; }kjk jkt dks'kh; i kFkfedrk	dy 0; ;@ l dy jkT; ?kjsy mri kn	fodkl 0; ;#@ dy 0; ;	l keftd {ks= dk 0; ;@dy 0; ;	vkfkd {ks= dk 0; ;@ dy 0; ;	imthxr 0; ;@ dy 0; ;	f'k{k ij 0; ;@ dy 0; ;	LokLF; ij 0; ;@ dy 0; ;
*l keLU; l dxl ds jkT; ka dk vks r %vuij kr% 2011&12	15.98	65.39	36.63	28.76	13.23	17.10	4.68
e/; insk dk vks r %vuij kr% 2011&12	25.40	74.71	28.43	46.28	11.68	12.88	3.32
*l keLU; l dxl ds jkT; ka dk vks r %vuij kr% 2013&14	15.68	68.12	37.60	30.53	13.60	17.15	4.59
e/; insk dk vks r %vuij kr% 2013&14	19.73	70.46	34.67	35.79	12.61	16.14	4.02
*l keLU; l dxl ds jkT; ka dk vks r %vuij kr% 2014&15	16.49	69.12	36.50	32.61	14.01	16.23	5.04
e/; insk dk vks r %vuij kr% 2014&15	21.02	74.86	31.98	42.88	11.12	15.50	4.46

* 18 l keLU; l dxl ds jkT; ka ij vk/kfjr t\$ &1- vks/ka insk] ryaokuk l fgr 2- fcgkj 3- NUKh x<+ 4- xkok 5- xqtjkr
6- gfj; k.kk 7- >kj [k.M 8- dukVd 9- djy 10- e/; insk 11- egkj'V 12- mMHl k 13- iatc 14- jktLFku 15- rfeyukMq
16- mRrj insk 17- if'pe cakky 18- fnYyh
17 l keLU; l dxl ds jkT; ka ij vk/kfjr xkok , oa i nppjh dks NkMej
fodkl 0; ; ea fodkl jktLo 0; ;] fodkl imthxr 0; ; rFk l forjtr dtl rFk vfxe l feefyr gA
L=kr % l dy jkT; ?kjsy mri kn ds fy,] 31 tykbZ 2015 ds l h, l -vks ocl kbV ij mi yUk tkudkj]h djy , oa xqtjkr
t gka vktMh i rku egly'kdkj jkjk mi yUk dj, x, Fks dks NkMejA

तुलनात्मक विश्लेषण से निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- मध्य प्रदेश ने 2011-12, 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में कुल व्यय पर अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद का उच्चतर अनुपात व्यय किया।
- 2011-12, 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान मध्य प्रदेश में कुल व्यय के अनुपात के रूप में विकास व्यय भी सामान्य श्रेणी के राज्य के औसत की तुलना में उच्चतर हुआ।
- 2011-12, 2013-14 एवं 2014-15 में मध्य प्रदेश में आर्थिक सेवाओं पर व्यय (कुल व्यय के अनुपात के रूप में) सामान्य संवर्ग के राज्यों के औसत से उच्चतर रहा है।
- सामाजिक सेवाओं पर व्यय (कुल व्यय के अनुपात के रूप में) सामान्य संवर्ग के राज्यों के औसत से निम्नतर रहा है।
- इसके अतिरिक्त, 2011-12, 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान स्वास्थ्य के साथ-साथ शिक्षा को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी गई क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों पर सामान्य संवर्ग राज्य के औसत की तुलना में कमतर अनुपात में व्यय किया गया था।
- यह देखा गया कि 2011-12, 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान मध्य प्रदेश में पूंजीगत व्यय, कुल व्यय के प्रतिशतता के रूप में सामान्य संवर्ग के राज्य के औसत से निम्नतर था।

1-7-2 0; ; ds mi ; ks dh n{krk

सामाजिक और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास शीर्ष पर लोक व्यय के महत्व की दृष्टि से उचित व्यय युक्तिकरण उपाय करना और सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वीकार्य आचरण (कोर पब्लिक गुड्स)¹⁰ तथा उपयोगी पदार्थों (मेरिट गुड्स) के प्रावधान पर बल देना राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। विकास व्यय¹¹ के लिए आवंटन का अनुमोदन करने के अतिरिक्त, व्यय उपयोग की दक्षता, कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत परिव्यय के अनुपात के द्वारा और राजस्व व्यय के समानुपात के रूप में विद्यमान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के प्रचालन और संधारण पर होने वाले व्यय द्वारा भी प्रतिबिम्बित होती है। कुल व्यय की तुलना में इन संघटकों का अनुपात जितना उच्चतर होगा, व्यय की गुणवत्ता भी उतनी ही बेहतर होगी।

rkfydk 1-22 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के संधारण पर किए गए राजस्व व्यय के संघटकों एवं पूंजीगत व्यय का विवरण उपलब्ध कराती है।

rkfydk 1-22% p; fur l kekf'td , oa v{kFkd l okvka ea 0; ; ds mi ; ks dh n{krk

¼i fr'kr e½

I kekf'td@v{kFkd v/kk j puk	2013&14			2014&15		
	dy 0; ; dh ryuk ea i{thxr 0; ; dk v{k	I cf/kr {ks= ds jktLo 0; ; ea fuEukf'dr dk v{k oru , oa etnjh	ipkyu rFkk j [k j [kko	dy 0; ; dh ryuk ea i{thxr 0; ; dk v{k	I cf/kr {ks= ds jktLo 0; ; ea fuEukf'dr dk v{k oru , oa etnjh	ipkyu rFkk j [k j [kko
I kekf'td l ok, a						
शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति	0.95	48.85	0.05	1.95	43.73	0.05
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	4.81	63.89	0.18	5.05	51.24	0.21
जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा नगरीय विकास	24.30	3.34	2.09	24.97	3.51	2.99
अन्य सामाजिक सेवाएं	7.83	28.55	0.10	4.93	27.66	0.07
; ks ¼i kekf'td l ok, ½	6.39	35.53	0.65	6.06	33.05	0.81
v{kFkd l ok, a						
कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप	2.78	35.24	0.19	1.94	30.63	0.16
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	85.28	63.93	6.36	83.00	62.96	7.31
विद्युत तथा ऊर्जा	7.59	0.01	0.21	5.10	0.01	0.03
परिवहन	62.79	2.57	29.87	69.05	1.66	14.13
अन्य आर्थिक सेवाएं	14.95	38.09	18.70	14.75	45.59	13.29
; ks ¼i kekf'td l ok, ½	28.40	19.53	7.86	20.86	15.79	4.09
; ks ¼i kekf'td l ok, a-v{kFkd l ok, ½	17.57	29.46	3.38	14.54	25.71	2.21

¼=kr% I cf/kr o'kk foYk y{s ks ds v{k i'kku egky{kkkj ky{s ks , oa gdnkjhh e/; insk jkjk iLrr tkudkjhh

rkfydk 1-22 से प्रकट होता है कि सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय के अंश में 2013-14 में 6.39 प्रतिशत से 2014-15 में 6.06 प्रतिशत की अंशतः कमी आई। यद्यपि, आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत कुल व्यय में पूंजीगत

¹⁰ कोर पब्लिक गुड्स वह होता है जिसका सभी नागरिक इस समझदारी से मिलजुल कर उपयोग करते हैं कि ऐसे स्वीकार्य आचरण का प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उपभोग किये जाने पर भी उक्त स्वीकार्य आचरण के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभोग से किसी के अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं होता, उदाहरणार्थ कानून और व्यवस्था का प्रवर्तन करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण, प्रदूषण रहित वायु और अन्य पर्यावरणीय पदार्थ तथा सड़के अधोसंरचना आदि।

मेरिट गुड्स में वे वस्तुएं आती हैं जो सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा निःशुल्क अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर उपलब्ध करायी जाती हैं क्योंकि उन्हें एक व्यक्ति या समाज द्वारा कतिपय आवश्यकता की अवधारणा के आधार पर प्राप्त करना चाहिये, न कि सरकार को भुगतान करने की योग्यता एवं इच्छा के आधार पर और इसलिये उनके उपयोग को प्रोत्साहित करने की इच्छा रखी जाती है। ऐसे पदार्थों के उदाहरणों में पोषण समर्थन के लिये निर्धनों को निःशुल्क अथवा आर्थिक सहायता दर पर अन्न का प्रावधान, जीवन स्तर में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का परिदान एवं अस्वस्थता दर में कमी लाना, सभी को आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना, पीने का पानी तथा सफाई व्यवस्था आदि सम्मिलित हैं।

¹¹ व्यय के आंकड़ों का विश्लेषण विकास व्यय तथा गैर विकास व्यय के रूप में पृथक-पृथक किया गया है। राजस्व लेखे, पूंजीगत परिव्यय और कर्ज तथा अग्रिमों से संबंधित समस्त व्ययों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। विस्तृत रूप से सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में विकास व्यय संघटित होता है, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर विकास व्यय के रूप में प्रतिपादित किया जाता है।

व्यय के अंश में 2013-14 में 28.40 प्रतिशत से 2014-15 में 20.86 प्रतिशत तक की कमी आई।

- सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत, पूंजीगत व्यय के अंश में कमी मुख्यतः अन्य सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत हुई जबकि आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत पूंजीगत व्यय के अंश में कमी मुख्यतः सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण तथा विद्युत एवं उर्जा क्षेत्रों के अंतर्गत थी। इससे यह प्रदर्शित हुआ कि सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत पूंजीगत व्यय पर प्राथमिकता में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।
- राजस्व व्यय में सामाजिक एवं आर्थिक दोनों सेवाओं के अंतर्गत वेतन एवं मजदूरी के अंश में 2013-14 में 29.46 प्रतिशत से 2014-15 में 25.71 प्रतिशत की कमी आई। प्रचालन एवं संधारण के मामले में भी व्यय में 2013-14 में 3.38 प्रतिशत से 2014-15 में 2.21 प्रतिशत की कमी मुख्यतः विद्युत एवं उर्जा तथा परिवहन के अंतर्गत हुई। इससे राजकोषीय स्थिति में सुधार दर्शित हुआ।

जैसा कि ifjfk"V 1-1 में दर्शाया गया है, 2005-14 की अवधि के दौरान, मध्यप्रदेश के संबंध में शिक्षा पर राजस्व व्यय की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर अन्य सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में उच्चतर थी जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र पर राजस्व व्यय की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर अन्य सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में निम्नतर थी। 2014-15 की अवधि के दौरान शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र पर राजस्व व्यय की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर विगत वर्ष की तुलना में अन्य सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में उच्चतर थी इससे शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय में सुधार दर्शित हुआ।

1-8 'kkl dh; 0; ; vkj fuos'kka dk foYkh; fo' ysk.k

पश्च राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन ढांचे में राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने राजकोषीय घाटे (उधारियों) को न केवल निम्न स्तर पर बनाए रखे अपितु अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिलाभ अर्जित करे और अन्तर्निहित आर्थिक सहायताओं के रूप में वहन करने की उधार ली गई निधियों की लागत वसूल करने के उपाय प्रारंभ करने एवं वित्तीय प्रचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए अपेक्षित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस भाग में सरकार द्वारा विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान किए गए निवेशों और अन्य पूंजीगत व्यय का व्यापक वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

1-8-1 fuos'k rFkk ifrykHk

31 मार्च 2015 तक सरकार ने सांविधिक निगमों (26), सरकारी कम्पनियों (35), संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और साझेदारियों (23), बैंक (एक) एवं सहकारी समितियों (130) इत्यादि में ₹ 16,104.55 करोड़ निवेश किए 1rkfydk 1-23%। विगत पांच वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.73 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2010-11 से 2014-15 के दौरान इनकी उधारियों पर औसत 6.80 प्रतिशत ब्याज के रूप में का भुगतान किया।

rkfydk 1-23% fuos'kka ij ifrykHk

₹ djkm+e%

fuos'k@ifrykHk@m/kkfj; ka dh ykxr	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
वर्ष के अन्त में निवेश	12,216.04	13,183.59	14,656.50	15,275.10	16,104.55
प्रतिलाभ	32.20	37.98	18.38	378.72	80.35
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.26	0.29	0.13	2.48	0.50
सरकार द्वारा लिए गए उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	7.04	6.74	6.48	6.84	6.88
ब्याज दर तथा प्रतिलाभ के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	6.78	6.45	6.35	4.36	6.38

1L=ks% l rFkr o'kka ds foYk yskHk

प्रदेश सरकार डेयरी, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, उद्योग, सड़क, खेलकूद, पर्यटन, परिवहन, नगरीय, माल भण्डारण, प्रचलन तंत्र एवं जल आपूर्ति इत्यादि के क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है।

हमने देखा कि जून 2015 तक 12 क्षेत्रों के अंतर्गत प्रारम्भ की गई 210 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं (लागत: ₹ 28,767.15 करोड़) में से, ₹ 5,831.01 करोड़ की लागत की केवल 45 परियोजनाओं (21.43 प्रतिशत) को पूर्ण किया गया था। जबकि ₹ 11,946.25 करोड़ लागत वाली 91 परियोजनाओं (43.33 प्रतिशत) में कार्य प्रगति पर था, ₹ 10,989.89 करोड़ लागत वाली 74 परियोजनाएं (35.24 प्रतिशत) प्रक्रियाधीन या बोली के अंतर्गत थीं। परियोजनाओं की देरी की अवधि का अनुभागवार विवरण विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। विवरण ifjfk'V 1-10 में दिया गया है।

1-8-3 jkT; ljdkj }kjk dtl rFkk vfxæ

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त, सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से अनेक को कर्ज तथा अग्रिम भी उपलब्ध करवा चुकी है। rkfydk 1-25 31 मार्च 2015 को बकाया कर्ज तथा अग्रिमों, विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज अदायगियों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को प्रस्तुत करती है।

rkfydk 1-25% jkT; ljdkj }kjk fn, x, dtl ,oa vfxæka ij iklr vKl r C; kt

₹ djkM+eæ

dtl dh ek=k@C; kt iklr; ka@m/kkfj; ka dh ykxr	2012-13	2013-14	2014-15	
			ctV vuqku	okLrfod vkadM;
दिए गए कर्ज का प्रारंभिक शेष	21,742	27,088	--	32,072
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	5,378	5,077	3,884	12,535
वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि	32	93	122	6,765
अन्त शेष	27,088	32,072	--	37,842
निवल संयोजन	5,346	4,984	4,006	5,770
ब्याज प्राप्तियां	42	12	1,134	1,058
बकाया कर्ज तथा अग्रिमों की प्रतिशतता में ब्याज प्राप्तियां	0.17	0.04	--	2.80
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रतिशतता में ब्याज अदायगियां	6.48	6.84	--	6.88
ब्याज अदायगियों तथा ब्याज प्राप्तियों के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	6.31	6.80	--	4.08

₹=kr% l ad/kr o'kk ds folk yfks , oa ctV vuqku 2014&15%

- 31 मार्च 2015 को कुल बकाया कर्ज तथा अग्रिम ₹ 37,842 करोड़¹² थे। इन कर्जों के विरुद्ध प्राप्त ब्याज ₹ 1,058 करोड़ था। विभिन्न राज्य सरकारी संस्थाओं को दिए गए कर्ज, वसूल किए गए कर्ज की राशि से अधिक थे परिणामस्वरूप बकाया कर्जों एवं अग्रिमों में वृद्धि हुई।
- यह देखा गया कि 31 मार्च 2015 को बकाया कर्ज तथा अग्रिमों का 83 प्रतिशत (₹ 31,415 करोड़) मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल एवं उसकी उत्तराधिकारी कम्पनियों से संबंधित थे एवं छह प्रतिशत जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा नगरीय विकास (₹ 2,170 करोड़) से वसूल किया जाना था तथा चार प्रतिशत कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों (₹ 1,687 करोड़) से संबंधित इकाइयों से वसूल किए जाने थे।

¹² छत्तीसगढ़ से संबंधित ₹ 2,186 करोड़ सम्मिलित हैं जिन्हें अंतिम रूप/अंतरित नहीं किया गया है।

- 2014-15 के दौरान उधारियों पर 6.88 प्रतिशत की दर से भुगतान किए गए औसत ब्याज को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा दिए गए कर्ज एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज की दर 2.80 प्रतिशत थी।
- 2014-15 के दौरान, प्राप्त ब्याज (₹ 1,058 करोड़), 2014-15 के बजट अनुमान (₹ 1,134 करोड़) से कम था एवं 2013-14 के वास्तविक आंकड़ों (₹ 12 करोड़) से उच्चतर था।

1-8-4 jkcdM+ 'ks'k , oa jkcdM+ 'ks'kka dk fuos'k

rkfydk 1-26 वर्ष के दौरान रोकड़ शेषों में से राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेशों एवं रोकड़ शेषों का चित्रण करती है।

rkfydk 1-26% jkcdM+ 'ks'k rFkk jkcdM+ 'ks'kka dk fuos'k

₹ djkM+ e%

	1 vi fy 2014 dks i kj fHkd 'ks'k	31 epxl 2015 dks vfire 'ks'k	of) %+-%@deh %&½
¼½ l kekl; jkcdM+ 'ks'k [(i) l s (iv)+2]	4,072.36	4,990.63	(+)918.27
(i) कोषालयों में रोकड़	--	--	--
(ii) रिजर्व बैंक में जमा	173.22	199.32	(+)26.10
(iii) अन्य बैंकों में जमा	--	--	--
(iv) पारगमन में प्रेषण- स्थानीय	--	--	--
; ksx (i) l s(iv)	173.22	199.32	(+)26.10
½½ jkcdM+ 'ks'k fuos'k yf'ks ea gq fuos'k	3,899.14	4,791.31	(+)892.17
¾½ vll; jkcdM+ 'ks'k , oa fuos'k [(i) l s(iii)]	404.67	411.33	(+)6.66
(i) विभागीय रोकड़ शेष	2.57	7.02	(+)4.45
(ii) स्थायी पेशगी	0.83	0.84	(+)0.01
(iii) उद्दिष्ट निधि से निवेश	401.27	403.47	(+)2.20
l exl jkcdM+ fLFkfr ¼½+¾½	4,477.03	5,401.96	(+)924.93

¼=ks-%fovk yf'ks

- सरकार के रोकड़ शेषों में विगत वर्ष के ₹ 4,477.03 करोड़ से वर्ष 2014-15 के अंत में ₹ 924.93 करोड़ की वृद्धि हुई।
- वित्त लेखे 2014-15 के अनुसार, ₹ 4,791.31 करोड़ भारत सरकार के खजाना बिलों में निवेश किए गए जिस पर वर्ष के दौरान ₹ 150 करोड़ ब्याज की प्राप्ति हुई। बड़े रोकड़ शेषों को रखने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि इनको कम ब्याज वाले 14 दिनी खजाना बिलों में निवेश किया जाता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए करार के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक में ₹ 1.96 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना होता है। यदि यह शेष राशि निश्चित करार की न्यूनतम शेष राशि से किसी भी दिन कम होती है, तो उस कमी की पूर्ति समय-समय पर साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिमों/अधिविकर्षण लेकर की जाती है। वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान राज्य द्वारा, अर्थोपाय अग्रिम (साधारण/विशेष) नहीं लिए गए थे।
- मुख्य शीर्ष 8670-चैक एवं देयक के अंतर्गत बकाया शेष, नहीं भुनाए गए चैकों की राशि को दर्शाते हैं। 2014-15 के वित्त लेखे के अनुसार इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष के अंत में बकाया शेष 2013-14 में ₹ 56.69 करोड़ की तुलना में 2014-15 में ₹ 593.12 करोड़ था। रोकड़ शेष, लम्बित चैकों की राशि तक बढ़े बताए गए।

1-9 वि.सं. 1-9-1 का संक्षेप

1-9-1 वि.सं. 1-9-1 का संक्षेप

विद्यमान सरकारी लेखाकरण पद्धति में सरकार की स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों यथा भूमि तथा भवनों का व्यापक लेखाकरण नहीं किया जाता है। फिर भी सरकारी लेखे, सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं।

कुल देयताएं, जिसकी परिभाषा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में दी गई है, राज्य के लोक लेखे एवं समेकित निधि के अंतर्गत देयताएं हैं। समेकित निधि देयताओं में भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं अग्रिम तथा आंतरिक ऋण समाहित है।

इसके अतिरिक्त, आंतरिक ऋण में बाजार कर्ज, केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां, क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र तथा वित्तीय संस्थाओं से कर्ज सम्मिलित है। भारत के संविधान में प्रावधान है कि राज्य, विधानसभा के अधिनियम द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा के अंदर समेकित निधि की प्रतिभूति पर भारत के क्षेत्र के अंतर्गत उधार ले सकते हैं एवं निर्धारित की जाने वाली सीमाओं के अंदर गारंटी दे सकते हैं। लोक लेखे देयताओं में अल्प बचतें, भविष्य निधि इत्यादि, आरक्षित निधियां एवं अन्य जमा सम्मिलित हैं।

शासकीय परिसंपत्तियों में समेकित निधि के अंतर्गत परिसंपत्तियां एवं रोकड़ सम्मिलित होते हैं। समेकित निधि के अंतर्गत परिसंपत्तियों में निर्धारित परिसंपत्तियों पर पूंजीगत परिव्यय-निगमों एवं कम्पनियों के शेयरों में निवेश एवं कर्ज तथा अग्रिम जिसमें विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज एवं अन्य विकास कर्ज सम्मिलित होते हैं।

वि.सं. 1-5 का संक्षेप में 31 मार्च 2014 को तदनु रूप स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2015 को ऐसी देयताओं और परिसम्पत्तियों का सार दिया गया है।

1-9-2 वि.सं. 1-9-2 का संक्षेप

विगत पांच वर्षों के लिए राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति वि.सं. 1-27 में प्रस्तुत की गई है।


वि.सं. 1-27% के लिए वि.सं. 1-27 का संक्षेप

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
वि.सं. 1-27 का संक्षेप	75,504	81,757	90,168	96,826	1,08,688
आन्तरिक ऋण	46,814	50,011	54,309	59,395	69,008
कर्ज तथा अग्रिम	10,956	11,359	12,268	12,718	13,254
लोक लेखा देयताएं	17,735	20,387	23,591	24,713	26,426
राजस्व प्राप्तियां	51,854	62,604	70,427	75,749	88,641
राजस्व प्राप्तियां की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	25.27	20.73	12.50	7.56	17.02
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	15.75	15.86	18.39	20.33	16.86
राजकोषीय देयताएं की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	11.28	8.28	10.29	7.38	12.25
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में राजस्व उत्पादकता	1.60	1.31	0.68	0.37	1.01
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में राजकोषीय देयताएं	0.72	0.52	0.56	0.36	0.73

वि.सं. 1-27 का संक्षेप

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताओं में 2010-11 में ₹75,504 करोड़ से 2014-15 में ₹1,08,688 करोड़ तक की वृद्धि हुई। इन देयताओं में 2013-14 में 7.38 प्रतिशत के विरुद्ध 2014-15 में 12.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान राजकोषीय देयताओं में वृद्धि मुख्यतः बाजार कर्ज (₹8,171 करोड़ से), राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां (₹1,184 करोड़ से), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से कर्ज (₹673 करोड़ से) एवं भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम (₹536 करोड़ से) के अंतर्गत थी।

pkVl 1-11 2010-15 की अवधि के दौरान बकाया राजकोषीय देयताओं की संरचना को प्रस्तुत करता है।



₹ djkM+e

rkydk 1-28 वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के अंत में राज्य की राजकोषीय देयताओं के विवरण का चित्रण करती है।

rkydk 1-28% jkT; dh jkt dks'kh; ns; rkvka ds l jkVd

₹ djkM+e

l - Ø-	uke	2013-14	2014-15
1.	l efdr fuf/k ns rk, a %ykcd __. k%	72,113	82,262
(i)	बाजार कर्ज	34,979	43,150
(ii)	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	18,076	19,260
(iii)	क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र का जारी करना	1,052	691
(iv)	नाबार्ड से कर्ज	4,839	5,512
(v)	अन्य कर्ज	449	395
(vi)	; ksx (i) l s(v)	59,395	69,008
(vii)	Hkkjr l jdkj l s dtl , oa vfxe	12,718	13,254
2.	ykcd yq'kk ns rk, a	24,713	26,426
(i)	अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	11,699	12,659
(ii)	सब्याज दायित्व	189	161
(iii)	ब्याज रहित दायित्व	12,825	13,606

₹ djkM+e

तेरहवें वित्त आयोग में निर्धारित 35.30 प्रतिशत की सीमा के विरुद्ध 2014-15 के अंत में राजकोषीय देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 21.40 प्रतिशत थी। ये राजस्व

प्राप्तियों की 1.23 गुना तथा राज्य के स्वयं के संसाधन की 2.32 गुना थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में इन देयताओं की उत्प्लावकता, 2013-14 में 0.36 से बढ़कर वर्ष के दौरान 0.73 हो गई जो मुख्य रूप से इन देयताओं की संवृद्धि दर में वृद्धि के कारण थी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2015) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि राज्य द्वारा ली गई सभी उधारी आवश्यकता के आधार पर तथा निर्धारित सीमा के भीतर थी। राज्य नकदी प्रबन्धन पर भारतीय रिजर्व बैंक के निकट संपर्क में था तथा नकदी भण्डार अनुकूलतम स्तर पर बनाये रखने की कोशिश की गई थी।

तथ्य यह रहता है कि कर्ज की बढ़ती मात्रा के परिणामस्वरूप ऋण सुधार के लिए दायित्व बढ़ गया है।

1-9-3 *leLr __. kka ds ifj 'kks'ku ds fy, fu{ks' fuf/k dh LFkki uk*

बारहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा क्र. 12.59 में अनुशंसा की कि राज्यों को, समस्त ऋणों के परिशोधन के लिए एक निक्षेप निधि स्थापित करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों को विगत वर्ष के अंत में समेकित निधि में अपनी बकाया देयताओं (आंतरिक ऋण + लोक लेखा देयताओं) का कम से कम 0.5 प्रतिशत का अंशदान देना आवश्यक है। हमने देखा कि जुलाई 2015 तक राज्य में निक्षेप निधि की स्थापना नहीं की गई थी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2015) के दौरान वित्त विभाग द्वारा बताया गया कि निक्षेप निधि की स्थापना के लिए कार्यवाही प्रक्रियांतर्गत थी।

1-9-4 *i R; kkkfr; ka dh fLFkfr & vkdfLed ns; rk, a*

प्रत्याभूतियां राज्य की संचित निधि पर प्रभारित वह आकस्मिक देयताएं हैं जो उस उधार गृहिता के लिए जिसके लिए प्रत्याभूति दी गई है द्वारा चूक होने की स्थिति में होती है।

मध्य प्रदेश राज्य सरकार प्रत्याभूति नियम (MPSGGR), 2009 (संशोधित) 20 नवंबर 2009 से प्रभावी हुआ और भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत उन सभी प्रकरणों में लागू होता है जहाँ राज्य सरकार ऋणों के पुनर्भुगतान एवं उस पर ब्याज के लिए प्रत्याभूति देती है। प्रत्याभूतियों के संस्वीकृति के आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं।

मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 का खंड 9(2)(घ), वार्षिक संवृद्धिकारक प्रत्याभूतियों की सीमा निश्चित करने के लिए राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित करता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुल प्रत्याभूतियां वर्तमान वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों की 80 प्रतिशत से अधिक न हो। वर्ष 2014-15 के दौरान, वार्षिक संवृद्धिकारक प्रत्याभूति, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन निर्धारित अधिकतम सीमा के अंतर्गत थी।

वित्त लेखे के विवरण पत्र 9 में दर्ज अनुसार, राज्य द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के लिए अधिकतम राशियाँ और अंतिम तीन वर्षों के लिए बकाया प्रत्याभूतियां rkfydk 1-29 में दी गई है।

rkfydk 1-29: e/; i nsk l jdkj }kjk nh xbl i R; kHkr; ka

₹ djkM+e#

i R; kHkr; ka dk foj .k	2012-13	2013-14	2014-15
प्रत्याभूति की अधिकतम राशि	14,751.71	21,472.12	31,884.57
प्रत्याभूतियों की बकाया राशि	7,719.54	9,977.62	20,124.25
वर्तमान वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति का 80 प्रतिशत (राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार मानदंड)	50,083.20	56,341.60	60,599.39
कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में प्रत्याभूति की अधिकतम राशि की प्रतिशतता	20.95	28.35	35.97
पूर्ववर्ती वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में बकाया प्रत्याभूति की प्रतिशतता	12.33	14.17	26.57
प्राप्य प्रत्याभूति या शुल्क	उपलब्ध नहीं	102.86	171.81
प्राप्त प्रत्याभूति या शुल्क	4.81	2.50	5.29

₹=kr% l cdf/kr o%kk ds fojk yqk

वर्ष 2014-15 के दौरान, विद्युत क्षेत्र (57), सहकारिता क्षेत्र (5), राज्य वित्तीय निगम क्षेत्र (22), शहरी विकास एवं आवास क्षेत्र (299) तथा अन्य अधोसंरचना (81) के संबंध में प्रत्याभूतियां दी गई थी। वर्ष 2014-15 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में, अधिकतम राशि जिसकी प्रत्याभूति दी गई थी, में ₹ 10,412.45 करोड़ की अत्यधिक वृद्धि हुई जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है।

i R; kHkr ekpu fuf/k

वर्ष 2005-06 के दौरान, राज्य सरकार ने प्रत्याभूति मोचन निधि निर्मित की थी जिसमें 2014-15 की समाप्ति पर ₹ 394.58 करोड़ का अंतिम शेष था। सम्पूर्ण राशि निवेशित की गई।

प्रत्याभूति शुल्क प्रमुख ऋणी से एक प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाती है जब तक कि विशेष रूप से छूट नहीं दी गई हो। इस तरह वसूल किया गया शुल्क सरकार के राजस्व में जमा किया जाता है। वर्ष 2014-15 के दौरान, प्राप्य राशि ₹ 171.81 करोड़ में से ₹ 5.29 करोड़ (3.08 प्रतिशत) प्रत्याभूति शुल्क के रूप में वसूल किए गए थे और शासकीय लेखों में जमा किए गए थे। 2014-15 के दौरान कोई भी प्रत्याभूति याचित नहीं हुई।

मध्य प्रदेश शासन वित्त मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी 2006 के अनुसार प्रत्येक वर्ष निधि में अंशदान, पूर्ववर्ती वर्ष में वसूल की गई प्रत्याभूति शुल्क होना चाहिए एवं राज्य सरकार द्वारा समरूप अंशदान होना चाहिए। 2013-14 के दौरान ₹ 2.50 करोड़ प्रत्याभूति शुल्क वसूल किया गया था इस प्रकार वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य द्वारा निधि में ₹ पांच करोड़ का अंशदान किया जाना था लेकिन केवल ₹ 2.50 करोड़ का अंशदान किया गया। फलस्वरूप राज्य सरकार के राजस्व आधिक्य को ₹ 2.50 करोड़ अधिक बताया गया था।

1-9-5 vl pkfyr vkj f{kr fuf/k; kj

हमने देखा कि मुख्य शीर्ष 8229-200-प्रतिपूर्ति वनरोपण निधि के अंतर्गत आरक्षित निधि में 31 मार्च 2015 को ₹ 31.81 करोड़ का जमा शेष था जिसका पिछले सात वर्षों से न तो उपयोग किया गया था और न ही निवेश किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2015) के दौरान वित्त विभाग द्वारा सूचित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में निधि के उपयोग हेतु बजट प्रावधान किया गया है।

1-10 **1.1.1**

1-10-1 **1.1.1.1**

सरकार के ऋण के परिमाण के अतिरिक्त, उन विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण संधारणीयता¹³ का निर्धारण करते हैं। यह भाग ऋण स्थिरिकरण¹⁴, ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता¹⁵, उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता¹⁶, ब्याज अदायगियों का भार (राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज अदायगी के अनुपात द्वारा मापा गया) और सरकारी प्रतिभूतियों की परिपक्वता रूपरेखा के अनुसार सरकार के ऋणों की संधारणीयता का मूल्यांकन करता है। **1.1.1.1** में 2010-15 की अवधि के लिए इन संकेतकों के अनुसार राज्य की ऋण संधारणीयता का विश्लेषण किया गया है।

1.1.1.1 **1.1.1.1.1**

₹ करोड़ में

1.1.1.1.1	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के रूप में	21.93	20.11	18.43	16.59	16.19
ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल)	927	(-488)	(-3,660)	(-462)	(-1,470)
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता (कोष्ठक में प्रतिशत)	2,606 (13)	955 (5)	2,838 (15)	569 (2)	4,793 (13)
ब्याज अदायगियों का भार (ब्याज अदायगियां/राजस्व प्राप्ति अनुपात)	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08

ऋण स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में ऋण है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में ऋण में लगातार गिरावट आ रही है जो कि 2014-15 में 16.19 प्रतिशत पर पहुंच गया।

1-10-2 **1.1.1.2**

ऋण संधारणीयता का एक और सूचक संवृद्धिता ब्याज देयताओं तथा संवृद्धिता प्राथमिक व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य की संवृद्धि ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता है। यदि

¹³ ऋण धारणीयता किसी समयावधि में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद का एक स्थिर अनुपात बनाए रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित की जाती है तथा अपने ऋणों के निर्वहन के सम्बन्ध में अपने सरोकार को मूर्त रूप देती है। अतएव ऋण की धारणीयता का उल्लेख चालू अथवा प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिये तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता एवं अतिरिक्त उधारी की लागत के साथ ऐसी उधारियों से प्रतिलाभ के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता के लिये भी किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण सेवा की क्षमता में वृद्धि के साथ होना चाहिये।

¹⁴ ऋण स्थिरता के लिये एक आवश्यक शर्त है कि यदि अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर, लोक ऋणों की लागत अथवा ब्याज दर की तुलना में अधिक होती है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात एक स्थिर होगा बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य अथवा सकारात्मक हो अथवा संतुलित रूप से नकारात्मक हो। दर प्रसार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर-ब्याज दर) तथा प्रमात्रा प्रसार (ऋण x दर प्रसार) मानते हुये, ऋण धारणीयता स्थिति अभिव्यक्त करती है यदि प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा शून्य होता तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात एक स्थिर होगा या ऋण अन्ततः स्थिर होगा। दूसरी ओर यदि प्राथमिक घाटा प्रमात्रा प्रसार के साथ नकारात्मक हो जाता है तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि हो रही होगी और यदि यह सकारात्मक है तो, ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अन्ततः गिर रहा होगा।

¹⁵ संवृद्धिता ब्याज देयताओं तथा संवृद्धिता प्राथमिक व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य की संवृद्धि ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता। यदि संवृद्धि ब्याज देयता तथा संवृद्धि प्रारंभिक व्यय की पूर्ति संवृद्धि ऋणोत्तर प्राप्तियों से होती है तो ऋण संधारणीयता को सरल किया जा सकता है।

¹⁶ कुल ऋण प्राप्तियों की तुलना में ऋण परिशोधन (मूलधन + ब्याज अदायगियां) के अनुपात के रूप में परिभाषित है और वह मात्रा इंगित करती है जिस मात्रा तक उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता दर्शाते हुये ऋण प्राप्तियां ऋण परिशोधन के लिये प्रयुक्त की जाती हैं।

संवृद्धि ब्याज देयता तथा संवृद्धि प्रारंभिक व्यय की पूर्ति संवृद्धि ऋणोत्तर प्राप्तियों से होती है तो ऋण संधारणीयता को सरल किया जा सकता है। सकारात्मक संसाधन अंतराल मध्यम से लंबी अवधि में राज्य सरकार की ऋणों को रोकने की क्षमता को सुदृढ़ करता है जबकि नकारात्मक संसाधन अंतराल इसके विपरीत स्थिति का सूचक है।

वर्ष 2010-11 के दौरान, ऋणोत्तर प्राप्तियों ने न केवल प्राथमिक व्यय की संवृद्धिता बल्कि संवृद्धिता ब्याज देयताओं की आवश्यकता को भी पूरा किया, परिणामतः सकारात्मक संसाधन अंतराल से दर्शित हुआ कि राज्य की ऋण संधारणीयता की क्षमता में वृद्धि हुई। 2011-12 से 2014-15 की अवधि के दौरान, संवृद्धिता ऋणोत्तर प्राप्तियां, संवृद्धिता प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी परिणामतः नकारात्मक संसाधन अंतराल हुआ। 2011-12 से 2014-15 की अवधि के दौरान कर्जों की कोई भी महत्वपूर्ण वसूली नहीं देखी गई।

1-10-3 म/क/यि ख/ल/फ/क/क; क/ध/फुय/मि/य/क/क

ऋण मोचन अनुपात ने 2010-15 की अवधि के दौरान 0.87 से 0.98 के मध्य उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति को दर्शाया (i f j f' k"V 1-4), जिससे परिसम्पत्ति निर्माण के लिए बहुत कम निधियां उपलब्ध थी। वर्ष 2014-15 के दौरान आंतरिक ऋण पुनर्भुगतान (₹4,084 करोड़) नवीन आंतरिक ऋण प्राप्तियों (₹13,696 करोड़) का 30 प्रतिशत था, भारत सरकार के कर्जों का पुनर्भुगतान (₹837 करोड़) ₹1,372 करोड़ के नवीन ऋण प्राप्तियों का 61 प्रतिशत था जबकि अन्य दायित्वों के मामले में पुनर्भुगतान (₹18,768 करोड़), ₹20,484 करोड़ की नवीन प्राप्तियों का 92 प्रतिशत था। इससे यह दर्शित हुआ कि नवीन ऋण प्राप्तियों का ऋण के पुनर्भुगतान में अंशतः उपयोग किया गया था।

वर्ष के दौरान आंतरिक ऋण के अंतर्गत ₹13,696 करोड़ की प्राप्तियों में से, सरकार ने 8.62 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत ब्याज दर पर ₹10,300 करोड़ बाजार कर्ज से, ₹1,407 करोड़ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से, ₹1,914 करोड़ राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से एवं ₹48 करोड़ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से एवं ₹28 करोड़ अन्य संस्थानों से कर्ज लिए।

भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिमों की प्राप्ति में 2013-14 में ₹1,212 करोड़ से 2014-15 में ₹1,372 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः 'राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजना के लिए कर्ज' के अंतर्गत एक मुश्त कर्जों में प्राप्ति के कारण था। आन्तरिक ऋण में बाजार कर्ज मुख्य रूप से समाविष्ट था।

1-10-4 ज/क/ट; .क/ध/ि/फ/ि/ड/क/क : इ/ज/स/क/क

र/क/य/ड/क 1-31% 0"क/ 2013&14 , 0" 2014&15 द/स/य/ , ज/क/ट; .क/ ध/ इ/फ/ि/ड/क/क : इ/ज/स/क/क

₹ d j k M + e

0"kk&ea	foYkh; 0"k/ 2013&14				foYkh; 0"k/ 2014&15			
	6003&vkrfjd _.k dh jkf'k	6004&dt7 rFkk vfxeka dh jkf'k	dy jkf'k	_.kka l s ns i qhHk&krku dk ifr'kr	6003&vkrfjd _.k dh jkf'k	6004&dt7 rFkk vfxeka dh jkf'k	dy jkf'k	_.kka l s ns i qhHk&krku dk ifr'kr
0-1	2,859.37	1,148.62	4,007.99	5.56	2,671.65	1,177.70	3,849.35	4.68
1-3	4,901.40	1,176.90	6,078.30	8.43	6,198.88	1,201.15	7,400.03	9.00
3-5	8,231.36	1,199.59	9,430.95	13.07	12,106.91	1,228.04	13,334.95	16.22
5-7	11,853.71	1,205.75	13,059.46	18.11	10,415.48	1,236.70	11,652.18	14.17

वर्ष	वित्त वर्ष 2013&14				वित्त वर्ष 2014&15			
	6003& वक्रांश	6004&दत्त	द्वि-वर्ष	संशोधन	6003& वक्रांश	6004&दत्त	द्वि-वर्ष	संशोधन
7-9	10,632.71	1,205.50	11,838.21	16.41	12,015.48	920.98	12,936.46	15.73
9-11	7,132.71	432.36	7,565.07	10.49	12,587.64	303.61	12,891.25	15.68
11-13	2,019.12	228.88	2,248.00	3.12	1,938.31	214.82	2,153.13	2.62
13-15	1,818.72	140.15	1,958.87	2.72	1,617.81	131.70	1,749.51	2.13
15 से अधिक	3,605.54	104.81	3,710.35	5.15	2,857.37	124.26	2,981.63	3.63
विविध*	6,340.45	5,875.67	12,216.12	16.94	6,598.15	6,714.87	13,285.02	16.16
कुल	59,395.09	12,718.23	72,113.32		69,007.68	13,253.83	82,233.51	

* विविध

* संशोधन के लिए दस्तावेजों के लिए: ijdi@hkrh; fjto@hkrh


उपरोक्त दर्शाए गए राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा यह दर्शाती है कि राज्य सरकार को अपने ऋणों का 44 प्रतिशत सात वर्षों के भीतर, 34 प्रतिशत सात से 13 वर्षों के मध्य तथा छह प्रतिशत 13 से 15 वर्षों से अधिक के मध्य पुनर्भुगतान करना होगा। राज्य के ऋणों के लगभग 16 प्रतिशत के पुनर्भुगतान की परिपक्वता रूपरेखा उपलब्ध नहीं थी क्योंकि जानकारी सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त नहीं हुई थी।

1-11 राजकोषीय मापदण्ड


तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड—राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे—एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में सम्पूर्ण राजकोषीय असन्तुलन की मात्रा की ओर इंगित करते हैं। सरकार के लेखाओं में घाटे उसकी प्राप्तियों और व्यय के मध्य अन्तर प्रदर्शित करते हैं। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबंधन के विवेक का संकेतक है। इसके अतिरिक्त, जिस तरह से घाटे का वित्त पोषण किया जाता है और संसाधनों का सृजन तथा उपयोग किया जाता है, वह इसके राजकोषीय सेहत के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए इस भाग में प्रवृत्तियों, प्रकृति, प्रमात्रा और इन घाटों को वित्त पोषित करने की रीति तथा राजस्व, प्राथमिक और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों का मूल्यांकन राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमों के निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में प्रस्तुत किया गया है।

राजकोषीय मापदण्ड

पृष्ठ 1-12 एवं पृष्ठ 1-13 2010-15 के दौरान घाटे के संकेतकों की प्रवृत्ति प्रस्तुत करते हैं।



संकेत: राजस्व आधिक्य (नीला), राजकोषीय घाटा (नारंगी), प्राथमिक घाटा (ग्रे)



संकेत: राजस्व आधिक्य/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (नीला), प्राथमिक घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (नारंगी), राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (ग्रे)

- जैसा कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में निर्धारित किया गया था, मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को विलोपित करने के राजकोषीय लक्ष्य को राज्य ने वर्ष 2004-05 में प्राप्त कर लिया था। इसके पश्चात राज्य ने राजस्व आधिक्य को बनाए रखा जो 2010-11 में ₹6,842 करोड़ से 2011-12 में ₹9,910 करोड़ तक बढ़ा, उसके बाद 2013-14 में कम होकर ₹5,879 करोड़ रहा तथा 2014-15 में पुनः ₹6,268 करोड़ तक बढ़ गया। इसमें विगत वर्ष की तुलना में ₹389 करोड़ की वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशतता के रूप में राजस्व आधिक्य 2010-11 में 2.60 प्रतिशत से 2011-12 में 3.25 प्रतिशत तक बढ़ गया, उसके पश्चात 2014-15 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि के कारण 2014-15 में घटकर 1.23 प्रतिशत रहा। 2014-15 के दौरान यह एक प्रतिशत के बजट अनुमान से अधिक था।
- राजकोषीय घाटा, जो सरकार की समस्त उधारियों और उसके संसाधन अंतराल को प्रदर्शित करता है, 2010-11 में ₹5,272 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹11,352 करोड़ हो गया। वर्तमान वर्ष के दौरान, राजकोषीय घाटे

में विगत वर्ष की तुलना में ₹1,470 करोड़ की वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटे में 2013-14 में 2.27 प्रतिशत से 2014-15 में 2.23 प्रतिशत की अंशतः कमी आई जो बजट अनुमान (2.98 प्रतिशत) के भीतर रहा एवं तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित तीन प्रतिशत साथ ही राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भी भीतर रहा।

- प्राथमिक घाटा 2010-11 में ₹223 करोड़ से बढ़कर अन्तर-वर्षीय परिवर्तनों के साथ 2014-15 में ₹4,281 करोड़ हो गया।

1-11-1 jkt dks'kh; ?kkVs ds l ?kVd rFkk bl dh foYk 0; oLFkk dk ifr: i

राजकोषीय घाटा, राज्य की कुल उधारियों की आवश्यकता होता है तथा राजस्व एवं ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों पर कर्ज तथा अग्रिम सहित राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का आधिक्य होता है। राजकोषीय घाटे के अपघटन से प्रकट होता है कि राज्य द्वारा राजस्व एवं ऋणोत्तर प्राप्तियों के अलावा निधियों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु किस सीमा तक विभिन्न कर्ज लिए गए। राजकोषीय घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप rkfydk 1-32 में परिलक्षित होता है।

rkfydk 1-32% jkt dks'kh; ?kkVs ds l ?kVd rFkk bl dh foYk 0; oLFkk dk ifr: i

₹ djkm+e%

fooj.k		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
jkt dks'kh; ?kkVk		-5,272	-5,760	-9,420	-9,882	-11,352
1	राजस्व आधिक्य	6,842	9,910	7,459	5,879	6,268
2	निवल पूंजीगत व्यय	-8,433	-9,032	-11,534	-10,777	-11,850
3	निवल कर्ज एवं अग्रिम	-3,681	-6,638	-5,345	-4,984	-5,770
jkt dks'kh; ?kkVs dh foYk 0; oLFkk dk ifr: i*						
1	बाजार उधारियां	3,258	3,166	3,363	3,572	8,171
2	भारत सरकार से कर्ज	577	403	909	450	536
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,582	-167	725	1,270	1,184
4	वित्तीय संस्थानों से कर्ज	-488	198	210	245	258
5	आरक्षित निधियां	275	1,191	2,020	971	143
6	अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	773	698	837	948	962
7	जमा एवं अग्रिम	1,678	783	348	-490	618
8	उचन्त एवं विविध	86	-28	-93	32	462
9	प्रेषणों	519	391	400	286	-57
10	रोकड़ शेष वृद्धि (+)/कमी (-)	+2,988	+875	-701	-2,598	+925

* vkadM% o"iz ds nks'ku l forj.k , oa cfxæu dk fuoy gS

(L=ks-% l cdf/r o"kkh ds foYk yq'ksh)

वर्ष 2013-14 के दौरान यह देखा गया है कि, राज्य सरकार द्वारा ली गई बाजार उधारियों ने राजकोषीय घाटे के मुख्य भाग को वित्त पोषित करना जारी रखा। 2014-15 में राजकोषीय घाटे को वित्त पोषण करने में इसका अंश 71.98 प्रतिशत था। 2013-14 की तुलना में 2014-15 में जमा एवं अग्रिम तथा उचन्त एवं विविध की राशि राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण में उच्चतर थी जिससे भविष्य में ब्याज भार में वृद्धि दर्शित हुई।

1-12 राजकोषीय घाटे का अनुपात और प्राथमिक घाटे का

राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात और प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे तथा पूंजीगत व्यय (कर्ज एवं अग्रिम सहित) में अपघटन राज्य की वित्त व्यवस्था में घाटे की गुणवत्ता को इंगित करेगा। मध्य प्रदेश के संबंध में 2004-05 से राजस्व आधिक्य रहा है। प्राथमिक घाटे का विभाजन 1-33½ उस सीमा को इंगित करता है जिस सीमा तक पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण घाटा हुआ, जो राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता सुधारने के लिए वांछित हो सकता है।

राजकोषीय घाटे का अनुपात और प्राथमिक घाटे का

₹ करोड़

वर्ष	पूँजीगत व्यय	प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटे का अनुपात	प्राथमिक घाटे का अनुपात	प्राथमिक घाटे का अनुपात	प्राथमिक घाटे का अनुपात
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)	9
2010-11	52,257	39,963	8,800	3,717	52,480	12,294	-223	16.77
2011-12	71,753	47,394	9,055	15,764	72,213	24,359	-460	12.54
2012-13	70,500	57,394	11,567	5,385	74,346	13,106	-3,846	15.56
2013-14	75,880	63,479	10,813	5,079	79,371	12,401	-3,491	13.62
2014-15	95,435	75,302	11,878	12,536	99,716	20,133	-4,281	11.91

* राजकोषीय घाटे का अनुपात और प्राथमिक घाटे का अनुपात

2010-15 की अवधि के दौरान राज्य के प्राथमिक घाटों के घटकों के विभाजन के परिणामस्वरूप प्रकट हुआ कि प्राथमिक घाटा राज्य सरकार द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय और वितरित किए गए कर्ज एवं अग्रिमों के कारण था। दूसरे शब्दों में, राज्य की ऋणोत्तर प्राप्ति प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिये न केवल पर्याप्त थी अपितु पूंजीगत व्यय के सम्पूर्ण/आंशिक व्यय को पूरा करती थी। यद्यपि आधिक्य ऋणोत्तर प्राप्ति सभी वर्षों के पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी, वे सम्पूर्ण कर्जों एवं अग्रिमों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी परिणामस्वरूप 2010-15 के दौरान प्राथमिक घाटा हुआ।

1-13 राजकोषीय घाटे का अनुपात और प्राथमिक घाटे का

राजकोषीय घाटे का अनुपात और प्राथमिक घाटे का

➤ राज्य ने वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 6,268 करोड़ का राजस्व आधिक्य बनाये रखा। इसमें विगत वर्ष की तुलना में ₹ 389 करोड़ की वृद्धि हुई। यद्यपि राज्य का राजकोषीय घाटा (₹ 11,352 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम तथा बजट अनुमानों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर था राजकोषीय घाटे में विगत वर्ष से ₹ 1,470 करोड़ की वृद्धि हुई। हालांकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटा 2013-14 में 2.27 प्रतिशत से घटकर वर्तमान वर्ष में 2.23 प्रतिशत हो गया, यह मुख्यतः 2014-15 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि के कारण हुआ।

- वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य का कर राजस्व (₹ 36,567 करोड़) पुनरीक्षित बजट अनुमानों (₹ 29,912 करोड़ से) एवं मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण के प्रक्षेपणों (₹ 30,104 करोड़ से) में निर्धारित लक्ष्य से कम रहा। राज्य द्वारा प्रक्षेपित 2014-15 के लिए पुनरीक्षित बजट अनुमान ₹ 66,479 करोड़ यथार्थवादी नहीं था।

राज्य सरकार बेहतर कर अनुपालन द्वारा कर एवं करेत्तर संसाधन के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु खोज कर सकती है। बजट अनुमान एवं संशोधित बजट अनुमान तैयार करते समय राज्य सरकार को यथार्थवादी आकड़े प्रक्षेपित करना चाहिए।

0; ; i x a k u , o a j k t d k s k h ; i k f k f e d r k

- 2014-15 में पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः ग्रामीण विकास, ऊर्जा एवं परिवहन के अंतर्गत थी।
- 2014-15 के दौरान, राज्य के राजस्व व्यय (₹ 82,373 करोड़) में 17.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में 10.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा यह राजस्व व्यय का 68 प्रतिशत था। वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय, तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपणों से 51.49 प्रतिशत अधिक था लेकिन मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए प्रक्षेपणों से अंशतः कम था।
- वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज अदायगी एवं राजसहायताएं सभी पर व्यय, राजस्व व्यय का 53 प्रतिशत व राजस्व प्राप्तियों का 49 प्रतिशत था। ₹ 9,954 करोड़ की कुल राजसहायता भुगतानों में से, 49 प्रतिशत उर्जा विभाग से संबंधित थी।

चूंकि आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का मुख्य भाग वेतन, पेंशन एवं ब्याज अदायगी पर व्यय होता है जो कि मुख्यतः नियंत्रण से बाहर है, राज्य सरकार आयोजनेत्तर राजस्व व्यय के अन्य संघटकों को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त उपायों की खोज कर सकती है ताकि परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए अवसर देने एवं राज्य के संधारणीय विकास के लिए राजस्व आधिक्य को बनाए रखा जा सके। राजसहायताओं पर व्यय जिसमें लगातार वृद्धि हो रही है, पर सरकार द्वारा अधिकतम ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

- 2014-15 के दौरान मध्य प्रदेश में सामाजिक क्षेत्र व्यय तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय में दी गई प्राथमिकता, जब सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से तुलना की गई, पर्याप्त नहीं थी।

सरकार को सामाजिक सेवाओं पर विशेषतः राज्य में शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र को अधिक राजकोषीय प्राथमिकता देनी चाहिए।

f u o s k i j i f r y k k k

- 2014-15 के दौरान, सरकार द्वारा 2014-15 तक सांविधिक निगमों, कंपनियों, सहकारी समितियों इत्यादि में निवेश ₹ 16,104.55 करोड़ पर प्रतिलाभ (₹ 80.35

करोड़) केवल 0.50 प्रतिशत था जबकि वर्ष के दौरान औसत उधारी दर 6.88 प्रतिशत थी।

सरकार को अपने निवेशों हेतु बेहतर मूल्य सुनिश्चित करना चाहिए।

- सत्ताईस सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों, जिनके लेखे को 2014–15 तक अंतिम रूप दिया जा चुका था, अद्यतन वर्ष के लिए उनका कुल निवेश ₹ 13,523.24 करोड़ था घाटे में चल रही थी जिनका कुल संचित घाटा ₹ 29,268.72 करोड़ तक हो गया।

सरकार को राज्य सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों जो अधिक नुकसान में चल रहे हैं, की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना चाहिए एवं या तो पुनः प्रवर्तन कार्यनीति या समाप्ति नीति तैयार करना चाहिए।

विनियोजन, अ

- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं जल संसाधन विभागों में 68 अपूर्ण परियोजनाओं पर 31 मार्च 2015 तक किया गया व्यय ₹ 14,344.25 करोड़ निष्फल रहा।

सरकार को अपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण करवाने के लिए पहल करनी चाहिए ताकि समय एवं लागत वृद्धि से बचा जा सके।

रोकड़ शेष निवेश खाते

- राज्य सरकार द्वारा 'रोकड़ शेष निवेश खाते' में 2013–14 एवं 2014–15 के अंत में क्रमशः ₹ 4,477 करोड़ तथा ₹ 5,402 करोड़ का निवेश किया गया। रोकड़ शेष निवेश खाते में बड़ी राशि का कम ब्याज दर पर रखना जबकि उधार अधिक दर पर लेना वित्तीय विविक्षाएं (implications) लाता है। इन वित्तीय वर्षों के अंत में 'रोकड़ शेष निवेश खाते' में उच्च स्तर पर निवेश दर्शाता है कि रोकड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने की आवश्यकता है।
- बकाया राजकोषीय देयताओं में 2010–11 के अंत में ₹ 75,504 करोड़ से 2014–15 के अंत में ₹ 1,08,688 करोड़ तक की लगातार वृद्धि हुई। वर्ष 2014–15 के अंत में राजकोषीय देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 21.40 प्रतिशत थी जो कि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य 35.30 प्रतिशत के अंदर रही। ऋण की मात्रा बढ़ जाने के परिणामस्वरूप ऋण को चुकाने की देयताओं में वृद्धि होती है।

राज्य सरकार नये ऋण का सहारा लेने से पूर्व आवश्यकता के आधार पर उधारियां लेने एवं उपलब्ध रोकड़ शेषों के उपयोग पर विचार कर सकती है।

